न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश,क्रम–3,जयपुर महानगर, प्रथम

पीठासीन अधिकारी : **राकेश गोरा,** आर0जे0एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी वाद सं0 : 92 / 2013
सीआईएस नम्बर : 1069 / 2014
सी.एन.आर नम्बर : RJJM0110161222013

01. श्रीमती अन्नू शर्मा उर्फ अन्नपूर्णा पत्नी श्री राजेश शर्मा, उम्र 40 वर्ष, पता एस–136, महेश नगर, जयपुर।

02. श्रीमती बबली शर्मा पत्नी राजेन्द्र शर्मा, उम्र 38 वर्ष, पता प्लाट नम्बर 9 जोरावर नगर, ज्वाला माता मन्दिर के पास, नाडी का फाटक, बैनाड रोड, जयपुर।

03. श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री बनवारी शर्मा, उम्र 35 वर्ष, पता–प्लाट नम्बर 72, श्रीराम नगर बी, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर।

04. श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी गजेन्द्र शर्मा, उम्र 33 वर्ष, पता ई–24 नन्दपुरी, स्वेज फार्म, हवा सडक, जयपुर।

–––वादीगण

बनाम

01. मोहन लाल शर्मा पुत्र शंकर लाल शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी– प्लाट नम्बर 5 / 83, कल्याण भवन, परशुराम नगर, देहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर।

02. गजानन्द शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी–प्लाट नम्बर –5 / 83, कल्याण भवन, परशुराम अगर, देहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर।

03. शंकर लाल शर्मा पुत्र स्व. कल्याण, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर महानगर। **(मृत्यु दिनांक 06.12.2017)**

04. एक्सीस बैंक शाखा जयपुर, जरिये मैनेजर पता– ओ–15, ग्रीन हाऊस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

05. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) तहसील आमेर, जयपुर।

06. लल्लूराम पुत्र श्री कल्याण दत्तक पुत्र श्री रामेश्वर, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी– ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6 / 1 रामप्यारी पत्नी लल्लूराम शर्मा उर्फ लल्लूलाल शर्मा, उम्र 70 साल, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर, सीकर रोड 303704

6/2 रश्मि शर्मा पत्नी श्री कमल शर्मा पुत्री श्री लल्लूराम उर्फ लल्लूलाल शर्मा उम्र 40 साल, निवासी–प्लाट नम्बर 51, तिरूपति फ्लेट्स, गोविन्दपुरा कालवाड रोड, जयपुर 302012

6 /3 नीतू शर्मा पत्नी श्री सुभाष शर्मा, पुत्री श्री लल्लूराम उर्फ लल्लूलाल शर्मा उम्र 32 साल, निवासी–प्लाट नम्बर 3ए, अल्का टॉकीज के पीछे, सोनी बाग, सनराईज स्कूल के सामने, सीकर रोड, जयपुर 302039

6/4 राजेश शर्मा पुत्र स्व. लल्लूराम उर्फ लल्लूलाल शर्मा, उम्र 29 साल, निवासी ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर, सीकर रोड 303704

. ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन तथा प्रारम्भ से शून्य की घोषणा, हिसाबफहमी व निरस्तीकरण दस्तावेज

उपस्थित–

1. श्री पुनीत श्रीवास्तव अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।

2. श्री परसराम चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 एवं प्रतिवादी सं. 6/1 लगायत 6/4 की ओर से।

3. श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 04 की ओर से।

4. प्रतिवादी सं. 05 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. श्री नीरज चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 06 की ओर से।

वादपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	17.12.2013
जवाब दावा प्रस्तुत करने की दिनांक	प्रतिवादी सं. 4 की ओर से दिनांक 12.02.2014 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओरसे दिनांक 22.03.2014
विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	10.02.2015, 04.10.2016 व 22.07.2022
साक्ष्य वादी प्रारम्भ होने व समाप्त होने की दिनांक	07.12.2015 व 26.11.2019
साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ होने व समाप्त होने की दिनांक	16.02.2017 व 19.01.2018
बहस सुनने की दिनांक	28.04.23, 15.05.23, 10.07.23 एवं 19.07.23
आदेश/निर्णय की दिनांक	21.07.2023

<u>गवाहान सूची</u>–

(अ) वादी गवाह–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड.1	श्रीमती अन्नू शर्मा उर्फ अन्नपूर्णा	स्वयं वादिया मूल गवाह व वाद पत्र की साक्ष्य

(ब) प्रतिवादी गवाह–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
डी.ड.1	मोहन लाल शर्मा	प्रतिवादी स्वयं व जवाबदावा की साक्ष्य
डी.ड.2	गजानन्द शर्मा	प्रतिवादी स्वयं व जवाबदावा की साक्ष्य
डी.ड.3	राजेश कुमार	प्रतिवादी स्वयं व जवाबदावा की साक्ष्य

दस्तावेज सूची–

(अ) वादी के दस्तावेज–

क्र. सं.	प्रदर्श नं.	विवरण
1.	प्रदर्श 1	बक्शीशनामा पारादेवी
2.	प्रदर्श 2	बक्शीश पत्र शंकरलाल
3.	प्रदर्श 3	जमाबन्द खसरा नं. 1782 एवं 1783
4.	प्रदर्श 4	जमाबन्दी भू सेटलमेंट विभाग
5.	प्रदर्श 5 से प्रदर्श 8	फोटोग्राफस
6.	प्रदर्श 9	फोटोग्राफस की सीडी
7.	प्रदर्श 10	लोक सूचना अधिकार के तहत विद्युत विभाग का अधिकार पत्र
8.	प्रदर्श 11	लोक सूचना अधिकार के तहत प्राप्त पुश्तैनी कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन का बिल
9	प्रदर्श 12	लोक सूचना अधिकार के तहत प्राप्त पुश्तैनी मकान का बिजली का बिल
10	प्रदर्श 13	लोक सूचना अधिकार के तहत पुश्तैनी दुकानात का बिल
11	प्रदर्श 14	विक्रय पत्र

(ब) प्रतिवादीगण के दस्तोवज–

क्र.सं.	प्रदर्श नं.	विवरण
1.	प्रदर्श ए–1	पंचायत प्रस्ताव की सत्यापित प्रति
2.	प्रदर्श ए–2	असल बक्शीशनामा दिनांकित 13.04.2005
3.	प्रदर्श ए–3	ऋण स्वीकृति पत्र
4.	प्रदर्श ए–4	पास बुक बैंक ऑफ बडौदा
5.	प्रदर्श ए–5	विक्रय विलेख

(स) न्यायालय दस्तावेज– निल

निर्णय **दिनांक–21**.07.2023

01. वादीगण की ओर से वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन तथा प्रारम्भ से शून्य की घोषणा, हिसाबफहमी व निरस्तीकरण दस्तावेज माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर के आदेशानुसार विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारणार्थ इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. वाद–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 शंकर लाल की पुत्रियां है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के भाई है तथा शंकर लाल जी की संताने है। वादीगण के परिवार का संक्षिप्त सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

श्रीराम

लक्ष्मीनारायण

कल्याण(पुत्र) रामेश्वर (पुत्र)

पारा पत्नी कल्याण

शंकर(पुत्र) लल्लूराम (पुत्र)

बचपन से रामेश्वर के गोद गये

मोहनलाल (पुत्र)	गजानन्द (पुत्र)	अन्नु उर्फ अन्नपूर्णा (पुत्री)	बबली (पुत्री)	रेखा (पुत्री)	संतोष (पुत्र)।

वादीगण के संयुक्त परिवार की कुछ सहदायिक सम्पत्ति चली आ रही है। जिसमें वादीगण अपने दादा परदादा के समय से ही काबिज है तथा बहैसियत मालिक अपना हक व अधिकार रखते है। इन सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है–

(1) दो दुकाने, आगे पीछे जिसमें आगे की दुकान बनी हुई है पीछे की जमीन खाली है, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, बस स्टेण्ड के पास जो कि पुश्तैनी है।

(2) प्लाट संख्या 5/83, कल्याण भवन, परसराम नगर, देहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर जो कि ग्राम जाहोता में पुश्तैनी बेचकर कृषि भूमि क्रय किया गया है अर्थात पुश्तैनी पारिवारिक सहदायिक सम्पत्ति की आय से क्रय किया गया है।

(3) पुश्तैनी मकान मय बाड़ा (पीछे की ओर) जिसमें लेट बाद बने हुए है तथा खाली पडा हुआ है करीब 600–700 वर्गगज, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर महानगर।

(4) कृषि भूमि ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जयपुर, खसरा नम्बर 1782, 1783, 1812, कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.24. हेक्टेयर का आधा भाग।
(उपरोक्त चारों सम्पत्तियाँ विवादित सम्पत्ति है)

03. वादीगण चारों विवाहित स्त्रियाँ है और उपरोक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में अपने जन्म से आज तक निवास करती चल आ रही है तथा उपरोक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति में अपने हिस्से की स्वामी, मालिक है तथा काबिज है। मद संख्या 3 में वर्णित सभी सम्पत्तियाँ पुश्तेनी सम्पत्तियाँ है जो कि वादीगण के पडदादा लक्ष्मीनारायण के पिता श्रीराम शर्मा के पूर्व से ही संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पत्तियाँ है जो कि सैकड़ो वर्षो से अधिक समय से वादीगण के परिवार की सम्पत्तियाँ है। स्व. श्रीराम शर्मा का देहान्त हो चुका है उनके सुपुत्र लक्ष्मीनारायण का भी देहान्त हो चुका है। श्री लक्ष्मीनारायण के सुपुत्र कल्याण सहाय व रामेश्वर दोनों का देहान्त हो चुका है। कल्याण सहाय जी के दो पुत्र शंकरलाल व लल्लूराम जीवित है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि कल्याण सहाय जी के दुसरे पुत्र लल्लूराम अपने बचपन में ही स्व. श्री रामेश्वर जी की गोद चले गये थे। शंकर लाल जी के दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है तथा चार पुत्रीयाँ वादीगण वर्तमान में जीवित है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय यह भी है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 शंकर लाल की माता श्रीमति पारा पत्नी स्व. कल्याण जीवित है जो कि करीबन 90 वर्ष से अधिक उम्र की है और पिछले कई वर्षों से बेहद बिमार है तथा सोचने समझने की स्थिति में नहीं है तथा मानसिक रूप से अत्यधिक उम्र होने की वहज से व बिमारियों की वजह से सोचने समझने में समर्थ नही है और ऐसी स्थिति में किसी भी तात्विक तथ्य वा कार्य हेतु मस्तिष्क में जानकारी ना होने की वजह से किसी भी प्रकार के निर्णय, कार्य, निष्पादन हेतु मानसिक रूप से समर्थवान नही है। वादीगण का विवाह होने के पश्चात् वह अपने पति व परिवार के साथ अपने उपरोक्त वर्णित पतो पर निवास भी करती है। पिछले कुछ समय से वादीगण की माता के देहान्त दिनांक 16.05.2013 के पश्चात् से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादीगण के आई है की नियत में खोट आने लगा है और वे येन केन प्रकारेण उपरोक्त सभी सम्पत्तियों को अकेले हड़प लेना चाहते है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपने पिता श्री शंकर लाल जी प्रतिवादी संख्या 3

को भी अपने अत्यधिक प्रभाव में ले रखा है और अपनी इच्छानुसार गलत व अवैध सभी प्रकार के कृत्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर कार्य करने के लिए उतारू रहते हैं। मद संख्या 3 में वर्णित जो भी सम्पत्तियाँ है सभी वादीगण के परिवार की संयुक्त सहदायिक सम्पत्तियाँ हैं जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/7वां हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का भी 1/7वां हिस्सा है। जिसमें से अपने हिस्से को वादीगण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत में खोट होने की वजह से येन केन प्रकारेण वादीगण को उपरोक्त सम्पत्तियों से वंचित कर देना चाहते है और समस्त सम्पत्ति को खुद ही मिलकर हडप लेना चाहते है जिनका की उन्हें कोई अधिकार नही है। उनका हिस्सा इन सम्पत्तियों में 2/7वां (1/7 व 1/7) है। अपनी इन्हीं गलत मनोकामनाओं व इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण लगायत 2 द्वारा अभी हाल में ही गुपचुप में ग्राम जाहोता में स्थित कृषि भूमि के बाबत अवैध रूप से दो बक्शीश पत्रों को दिनांक 26.06.2013 को अपने हको में निष्पादित करवा लिया है जिसमें से एक बक्शीश पत्र प्रतिवादी संख्या 3 शंकर लाल द्वारा अपनी चार पुत्रियों के तथ्य को छुपाकर, अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में लिखा गया है जबकि दूसरा बक्शीश पत्र श्रीमति पारा पत्नी स्व. कल्याण जी के द्वारा, उनके ना सोचने समझने के बावजूद भी अपने हक में पूर्णतः फर्जी तरीके से आपसी साजिश व मिलीभगत करते हुए निष्पादित करवा लिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के व्यवहार में अत्यधिक गिरावट आने पर और वादीगण व उनके पति आदि से ठीक व्यवहार ना किये जाने के फलस्वरूप वादीगण द्वारा कुछ शंका होने पर पूछताछ करने पर उन्हें आस पास के लोग व अन्य रिश्तेदारों से यह पता लगा कि चुपचाप कुछ दस्तावेज निष्पादित कराये है। इस प्रकार वादीगण को दिसम्बर 2013 के शुरूआत में ही इस तथ्य की जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दो बख्शीश पत्र गुपचुप में अवैध रूप से निष्पादित करवा लिये। वादीगण उपरोक्त मद संख्या 3 में वर्णित सभी विवादित सम्पत्तियों की मालकिन व स्वामीनी है और उनका प्रत्येक का इन समस्त सम्पत्तियों में 1/7–1/7 बराबर का हिस्सा है, जिन्हें वे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उल्लेखनीय है कि जो बक्शीश पत्र श्रीमती पारा द्वारा किया गया है वह प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि उन्हें किसी भी सहदायिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरण करने का कोई अधिकार हासिल नही है और ना ही उपरोक्त सम्पत्तियों में किसी भी प्रकार का अन्तरण या हित परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार है इसके अतिरिक्त जहाँ तक शंकर लाल द्वारा जो बक्शीश पत्र निष्पादित किया गया है वह बक्शीश पत्र भी प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 शंकर लाल को अविभाजित कृषि भूमि में 1/7 हिस्से के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की बक्शीश करने का अधिकार हासिल नहीं है। उसके द्वारा बक्शीश पत्र में आधी

सम्पत्ति (कृषि भूमि) अंकित कर अवैध रूप से विधि के विपरीत, बक्शीश पत्र का पंजीयन कराया है। जो कि ना केवल अपराध है बल्कि प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसके लिए पृथक से फौजदारी कार्यवाही वादीगण ऐसे अवैध व फर्जी बक्शीश पत्रों के निष्पादन में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध करने को स्वतंत्र है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से अपने प्रत्येक के 1/7 हिस्से के बाबत् निवेदन किया तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसे विभाजन के लिए इन्कार कर दिया और वादीगण को स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें जो करना है कर ले, वादीगण द्वारा दिनांक 15.12.2013 को पुनः निवेदन किया इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा गाली गलौच करते हुए उनके सामने से चले जाने के लिए कहा और स्पष्ट रूप से विभाजन हेतु इन्कार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के इस प्रकार के इन्कार से यह स्पष्ट है कि वे अपनी गन्दी नियत को अमलीजामा पहनाने हेतु कुछ भी कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा यह भी धमकी दी गई कि वह अपनी इच्छानुसार इस सम्पत्ति को कही पर भी बेचान, गिरवी, अन्तरण, हस्तान्तरण करेगे, वादीगण को जो करना है कर ले ऐसी स्थिति में वादीगण उपरोक्त सम्पत्तियों के बाबत् अपने हिस्से को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग करवाने की अधिकारीणी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है कि वह उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी सम्पत्तियों के विभाजन होने से पूर्व, किसी भी प्रकार से इन सम्पत्तियो को बेचान, बंधक, अन्तरण व किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण ना करे। वादीगण द्वारा जमीन के बाबत् राजस्व विभाग से कागजात निकलवाने के बाद में उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 4 बैंक भी इस अवैध कृत्यों में शामिल है और प्रतिवादी संख्या 4 के मैनेजर/सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गलत रूप से इस कृषि भूमि को रहन रखा है और अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को धन प्रदान किया है। जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही था क्योंकि वादीगण भी इस सम्पत्ति कृषि भूमि में बराबर के हिस्सेदार है और बिना उनकी सहमति से रहन सम्भव नही है व अवैध है और ना ही वादीगण की सहमति के बिना व अनुमति प्राप्त ना होने पर कोई ऋण दिया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ऐसा मनमाने तरीके से रहन कर ऋण दिया है ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 बैंक जरिये मैनेजर/प्राधिकृत अधिकारी को भी पाबन्द कराने के अधिकारी है कि उपरोक्त कृषि भूमि जिसके बाबत् बैंक द्वारा अवैध रहन रखकर पैसा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिया है, इस कृषि भूमि के बाबत स्थिति यथावत बनाये रखे तथा इस सम्पत्ति के असल दस्तावेज बिना वादीगण की सहमति व माननीय न्यायालय के आदेशों के, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 या अन्य किसी को प्रदान ना करे तथा भविष्य में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अन्य कोई राशि प्रदान ना करे। वादीगण प्रतिवादी

संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 5 को भी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे उपरोक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का मिट्स एण्ड बाउन्ड्स माननीय न्यायालय से अंतिम रूप से विभाजन ना होने तक, किसी भी प्रकार से किसी भी सम्पत्ति का विक्रय, बंधक, एग्रीमेन्ट अन्य किसी प्रकार से अन्तरण, ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, रिश्तेदार, प्रतिनिधि इत्यादि से कराये इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण तक तथा वादीगण के मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होने तक विवादग्रस्त सम्पत्तियों के बाबत् किसी भी प्रकार के विक्रय, बेचान, बन्धक व अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरण के दस्तावेज को पंजीकृत ना करे, तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम विधिअनुसार जोडे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम व हितों को दुरुस्त करे। वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त सम्पत्तियों में से प्रत्येक 1/7 हिस्से की अधिकारिणी है और वे न्यायालय से अपने हिस्से व मिलकीयत की सम्पत्ति को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पृथक करवाकर अपने हिस्से को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु तथा अपनी मन मर्जी से सम्पत्तियों के विभाजन करने व अन्तरण करने की धमकी देने के कारण यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। वादीगण इस बाबत् भी घोषणा करवाने की अधिकारी है कि जो रजिस्टर्ड बक्शीश पत्र दिनांक 26.06.2013 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा शंकर लाल व श्रीमति पारा से अवैध, गलत व फर्जी रूप से अपने हक में लिखवाये है दे प्रारम्भ से ही शून्य है और वादीगण उन्हें शून्य व अवेध घोषित करवाने के अधिकारी है तथा इस बाबत भी घोषणा करवाने के अधिकारी है कि इन दस्तावेजात से प्रतिवादी संख्या । व 2 को किसी भी प्रकार के हक, हित व स्वामित्व प्राप्त नहीं होते है तथा वादीगण के अधिकारो व स्वामित्व, हित के सम्बन्ध में दोनों बक्शीशनामे दिनांक 26.06.2013 प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हैं1 वादीगण उपरोक्त मद संख्या 3 में वर्णित सभी सम्पत्तियों में से ना केवल अपना प्रत्येक का 1/7 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है बल्कि कृषि भूमि, दोनों दुकान, अन्य दोनों मकानात से जो आय प्राप्त हो रही है उसमें भी अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है और इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से हिसाब प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वादीगण दौराने दावा माननीय न्यायालय से इस बाबत भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं कि उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हिसाब प्रस्तुत करे जो भी फसल से आय, दुकानो से आय, या किराये की आय आदि हो उसमें से वादीगण का हिस्सा उन्हें प्रदान करे तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय दौराने दावा एक रिसिवर नियुक्त करने की कृपा करे ताकि

रिसिवर की देखरेख व निगरानी में समस्त हिसाब, खर्चा, प्रविशिष्ट सूची समय समय पर माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय न्यायालय में पेश हो सके और इस प्रकार वादीगण उपरोक्त फसल के अपने हिस्से, फसल की आय, किराये की आय व अन्य आय में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सके तथा माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से वादीगण के हिस्से व उनकी आय को पृथक कर वादीगण को दिलवाये। प्रकरण अत्यन्त अर्जेन्ट प्रकृति का होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 5 को बिना नोटिस दिये प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना पत्र भी न्यायालय के समक्ष इजाजत बाबत् प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वादीगण को वाद कारण 02 दिसम्बर 2013 को बख्शीशनामा की जानकारी करने पर तथा उसके पश्चात् राजस्व दस्तावेज को देखने पर उत्पन्न हुआ तथा उसके पश्चात् दिनांक 15.12.2013 को विभाजन हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार किये जाने तथा धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ तथा उनके कृत्यों से लगातार जारी है। मुकदमा बाबत् स्थायी निधोषाज्ञा का होने के कारण मूल्यांकन 400/–रूपये होने पर कोर्ट फीस 10/– रुपये, दावा बाबत् विभाजन का मूल्यांकन करीब दस लाख रूपये है चूंकि वादीगण इन सम्पत्तियों पर काबिज है इसलिए न्यायशूल्क 200/–रूपये पर प्रस्तुत है तथा मुकमदा बाबत शून्य किये जाने दस्तावेज (घोषणा) मूल्यांकन 400–400 रुपये पर किया जाकर न्यायशुल्क 20 रुपये पर प्रस्तुत है। इस प्रकार कुल 1230/–रूपये के न्यायशुल्क पर उक्त बाद प्रस्तुत किया गया। वादी का वाद भारतीय विधान अधिनियम के तहत अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। वादी का वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय को सुनवाई करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में वादीगण निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करने की प्रार्थना की गयी–

(क) दावा बाबत् विभाजन वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर उपरोक्त मद संख्या 3 में वर्णित समस्त विवादित सम्पत्ति में से वादीगण को प्रत्येक उसके 1/7 हिस्से को मिट्स एण्ड बाउन्ड्स पृथक कर दिलवाया जाये।

(ख) वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण चिर स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की चिर स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाये कि वे उपरोक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का मिट्स एण्ड बाउन्ड्स माननीय न्यायालय से अंतिम रूप से विभाजन ना होने तक, किसी भी प्रकार से किसी भी सम्पत्ति का विक्रय, बंधक, एग्रीमेन्ट अन्य किसी प्रकार से अन्तरण, ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वोन्ट, रिश्तेदार, प्रतिनिधि इत्यादि से कराये इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं कि वे उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण तक तथा वादीगण के मिस एण्ड

बाउण्ड्स विभाजन होने तक विवादग्रस्त सम्पत्तियों के बावत् किसी भी प्रकार के विक्रय, बेचान, बन्धक व अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरण के दस्तावेज को पंजीकृत ना करे तथा स्थिति यथावत बनाये रखे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम विधिअनुसार जोडे तथा समस्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम व हितों को दुरुस्त करे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 बैंक जरिये मैनेजर/प्राधिकृत अधिकारी को भी पाबन्द कराने के अधिकारी है कि उपरोक्त कृषि भूमि जिसके बाबत् बैंक द्वारा अवैध रहन रखकर पैसा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिया है, इस कृषि भूमि के बावत् स्थिति यथावत बनाये रखे तथा इस सम्पत्ति के असल दस्तावेज बिना वादीगण की सहमति व माननीय न्यायालय के आदेशों के, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 या अन्य किसी को प्रदान ना करे तथा भविष्य में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अन्य कोई राशि प्रदान ना करे।

(ग) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बाबत घोषणा की जाकर ड्रिकी किया जाये कि जो रजिस्टर्ड बक्शीश पत्र दिनांक 26.06.2013 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा शंकर लाल व श्रीमति पारा से अवैध, गलत व फर्जी रूप से अपने हक में लिखवाये है वे प्रारम्भ से ही शून्य है इन दस्तावेजात से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किसी भी प्रकार के हक, हित व स्वामित्व प्राप्त नही होते है तथा वादीगण के अधिकारो व स्वामित्व, हित के सम्बन्ध में दोनों बक्शीशनामे दिनांक 26.06.2013 प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।

(घ) वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाये कि वादीगण उपरोक्त मद संख्या 3 में वर्णित सभी सम्पत्तियों में से ना केवल अपना प्रत्येक का 1/7 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है बल्कि कृषि भूमि, दोनों दुकान, अन्य दोनों मकानात से जो आय प्राप्त हो रही है उसमें भी अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है और इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से हिसाब प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वादीगण दौराने दावा माननीय न्यायालय से इस बाबत् भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं कि उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के बावत् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हिसाब प्रस्तुत करे जो भी फसल से आय, दुकानों से आय, या किराये की आय आदि हो उसमें से वादीगण का हिस्सा उन्हें प्रदान करे तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से दौराने दावा एक रिसिवर नियुक्त करने की भी अधिकारिणी है ताकि रिसिवर की देखरेख व निगरानी में समस्त हिसाब खर्चा प्रविशिष्ट सूची समय समय पर माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय न्यायालय में पेश हो सके और इस प्रकार वादीगण उपरोक्त फसल के अपने हिस्से, फसल की आय, किराये की आय व अन्य आय में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सके तथा माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से वादीगण के हिस्से व उनकी आय को पृथक कर वादीगण को दिलवाये।

(ड.) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाए।

अंत में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा एवं निरस्तीकरण विक्रय पत्र डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा प्रतिवादी नं.2 व 3 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 30.10.1998 अवैध, निष्प्रभावी, बेअसर व बेमानी घोषित किए जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अनुतोष की प्रार्थना की गयी है।

04. प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह प्रकट किया गया कि श्रीराम नाम का कोई पूर्वज नहीं था। वाद पत्र की मद संख्या 3 के उप मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति दोनो दुकानें कल्याण जी उर्फ मदन लाल जी व रामेश्वर जी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, उन्होने ही अपनी स्वयं की आय से पंचायत से दुकाने लेकर निर्माण करवाया था, रामेश्वरजी के स्वर्गवास के पश्चात् लल्लूराम ही की सहमति उक्त दोनो दुकानें कल्याण जी के पास ही रही, कल्याणजी ने ही उक्त दोनो दुकानें अपने जीवनकाल में लल्लूराम जी की सहमति से बख्शीशनामा के जरिये प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हस्तानान्तरित कर दी, उक्त दोनो दुकानों पर आज भी प्रतिवादी क्रम 1 बहैसियत स्वामी काबिज है। इन दोनो दुकानों से वादीगण क पिता प्रतिवादी क्रम 3 का कभी भी कोई सबंध व सरोकार नही रहा है, ना ही वादीगण का इन दुकानों पर कभी कब्जा रहा है। इन दुकानों पर प्रतिवादी क्रम 1 का ही बहैसियत स्वामी काबिज है व शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। ये दुकाने पुश्तैनी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 3 के उप मद संख्या 2 में वर्णित प्लाट संख्या 5/83 कल्याण भवन, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी सीकर रोड, जयपुर का आधा भाग लल्लू राम जी ने अपनी स्व अर्जित आय से व आधा भाग प्रतिवादी क्रम 1 मोहन लाल व क्रम 2 गजानन्द ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय कर निर्मित किया है व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से में निवास कर रहे है। इस प्लाट से वादीगण के पिता व पूर्वजों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्लाट को लल्लूराम जी, मोहन लाल जी व गजानन्दजी ने ऋण लेकर निर्मित किया है। जिसकी इस समय भी किश्तें आ रही है। यह प्लाट ग्राम जाहोती की जमीन बेचकर नहीं. लिया है। वादीगण के पिता ने किसी भी भूमि का बेचान नहीं किया है। लल्लूराम जी ने अपने हिस्से की जमीन में से कुछ का बेचान किया था. जिससे वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्लाट पुश्तैनी जमीन बेचकर क्रय नहीं किया गया है। इस मकान पर वादीगण ने कभी

निवास नहीं किया है। उक्त मकान व बाड़ा से वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यह मकान पुश्तैनी नहीं है। इस मकान से शकंरलाल जी का वरवक्त बाद सबंध नहीं होने से वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है व ना ही वादीगण ने शादी के बाद से इस मकान व बाड़े पर निवास किया है। इस भूमि का आधा हिस्सा स्वर्गीय रामेश्वर जी का होने व लल्लूराम जी के गोद चले जाने से लल्लूराम जी के हिस्से में हो गया था व शेष बचे आधे हिस्से में अर्थात 1.62 हैक्टेयर में कल्याण जी के वारिसान पारा देवी, शकंर व लल्लूराम जी का 1/3, 1/3 हिस्सा था, अर्थात प्रत्येक का 0.54 हैक्टेयर हिस्सा था। परन्तु लल्लूराम जी ने अपना 1/3 हिस्सा अर्थात 0.54 हैक्टेयर हिस्सा पारा देवी व शकर के हक में मौखिक रूप से छोड़ दिया. इसके कारण लल्लू जी का हिस्सा आधा आधा पारा देवी व शकर के पास चला गया, इसके कारण पारादेवी व शकर के पास अपने 0.54 हैक्टेयर हिस्से में लल्लू जी के द्वारा दिया गया हिस्सा 0.54 हैक्टेयर का आधा हिस्सा 0. 27 हैक्टेयर प्रत्येक को प्राप्त हुआ तत्पश्चात् पारा देवी व शंकर के पास 0.81 हैक्टेयर जमीन प्रत्येक के पास लल्लू जी के हिस्से को मिलाकर हो गयी। पारादेवी ने लल्लू जी के हक व हिस्से की जमीन को मिलाकर प्राप्त हुयी जमीन 0.81 हैक्टेयर का प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हक में दान कर दिया है। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी क्रम 3 ने भी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हक में अपने व लल्लू जी के हिस्से को मिलाकर प्राप्त हुई 0.81 हैक्टेयर जमीन का दान पत्र करवा दिया है। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। वादीगण कभी भी इस भूमि पर कभी भी कब्जे काश्त में नहीं रही है। वादीगण का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। इस भूमि में से सड़क के पास वाले नया कुआ व जमीन लल्लूराम के एक हिस्से में व कब्जे में है व शेष पर पुराने कुए व जमीन पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। वादीगण ने अपनी शादियों से पूर्व पुत्रियां होने के कारण निवास किया है। परन्तु इन सम्पत्तियों के स्वामी उपरोक्त विवरणानुसार प्रतिवादीगण लल्लूजी व स्वर्गीय रामेश्वर जी ही रहे हे। बहैसियत स्वामी वादीगण कभी भी इन सम्पत्तियों पर कब्जे काश्त में नही रही है व ना ही आज है। वे सभी अपने अपने ससुराल में रह रही है। जमीनों के भाव बढ़ जाने से नाजायज रकम प्रतिवादीगण से लेने की गरज से ही यह झूठा वाद वादीगण ने पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। उक्त सम्पत्तियां पुश्तैनी नहीं है, ना ही श्रीराम शर्मा नाम का कोई पडदादा था,

जिससे यह सम्पत्तियां आयी हो। वादीगण के कब्जे काश्त में ये भूमियां व सम्पत्ति कभी नहीं रही है। वादी व प्रतिवादीगण की दादी पारा देवी पूर्णतया स्वस्थ व स्वस्थ बुद्धि की व अपना भला बुरा सोचना मे पूर्णतया सक्षम है। उसने अपने हिस्से सम्पत्ति को स्वथ चित्त व बुद्धि व स्वेच्छा से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पौत्रों को रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा दान कर दिया है। जिनका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बहैसियत स्वामी उपयोग उपभोग कर रहे है। वाद पत्र की मद संख्या 8 वादीगण का अपने ससुराल में उपरोक्त पतों पर स्थाई रूप से निवास करना स्वीकार है व कभी बार त्यौहार बहैसियत पुत्रियां प्रतिवादीगण के घर एक दो दिन रहकर वापिस लौट जाती है। उनका वाद में वर्णित किसी भी संपति से कभी भी बहैसियत स्वामी सबंध व सरोकार नहीं रहा है व ना ही कोई सम्पत्ति उनके कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 अपने पिता प्रतिवादी क्रम 3 की व दादी की अच्छी सेवा करते है, इस कारण उन्होने प्रसन्न होकर सम्पत्ति का दोनो भाईयों के हक में दान कर दिया है, जिन पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। उक्त सम्पत्तियां संयुक्त व सहदायिक सम्पत्तियां नहीं है। वादीगण का इन सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। व ना ही वे इन सम्पत्तियों में किसी भी हिस्से की अधिकारी है। वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है वे उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रम 3 व दादी पारा ने अपने स्वस्थचित्त स्वस्थ बुद्धि व बिना दाब धौंस के अपनी सम्पत्तियों को राजीखुशी से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हक में दान पत्र/बख्शीशनामा निष्पादित किया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 प्रतिवादी क्रम 3 व दादी पारा की अच्छी सेवा करते आये है व कर रहे है। इसी से प्रसन्न होकर बख्शीश पत्र करवाये गये है। इस सम्पत्ति से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। ना ही उनका इसमें कोई हक व हिस्सा है। वादीगण मद संख्या 3 में वर्णित सम्पत्तियों की मालिक व स्वामी नहीं है। उनका इन सम्पत्तियों में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा नहीं है। पारा देवी बाद में पक्षकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पारा देवी द्वारा किये गये बख्शीश पत्र के बारे में उन्हे ऐतराज करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। पारा देवी के हक व हिस्से में से वादीगण को कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है। शकंर लाल ने जो भी बख्शीश पत्र लिखा व तस्दीक करवाया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है, जिन्हे निरस्त करवाने का वादीगण को अधिकार नहीं है। वादीगण का सम्पत्तियों में कोई हिस्सा नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। उन्होने

इस मद में वर्णित तारीख या कभी भी ऐसी मांग प्रतिवादीगण 1 ता 3 से नहीं की थी। मद में वर्णित धमकी मिन प्रतिवादीगण ने कभी भी नहीं दी है। वादीगण कभी भी इन सम्पत्तियों पर बहैसियत स्वामी काबिज नहीं है। ये सम्पत्तिया मिन प्रतिवादीगण के स्वामित्व व लल्लू राम जी के स्वामित्व व करने की है। जिनमें वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादीगण को मिन प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रम 4 ने विधि के अनुसार ही ऋण जारी किया है व धन प्रदान किया है। वादीगण का इन सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण उनकी सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं था। वादीगण को बैंक को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक से ऋण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा लल्लूराम जी के नाम से है। वादीगण का इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है ना ही कभी उनका वादग्रस्त सम्पत्तियों पर कभी कब्जा रहा है। उनको मिन प्रतिवादीगण का इस सम्पत्ति के हर प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। ना ही प्रतिवादी क्रम 5 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है। वादीगण प्रत्येक 1/7 हिस्से के अधिकारी नहीं है। वे इन सम्पतियों में से कुछ भी पाने की अधिकारी नहीं है ना ही इस सम्पत्ति का बंटवारा करवाने की अधिकारी है जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण वादीगण ने लालचवश यह झूठा वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। पारा देवी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। पारा देवी की सम्पत्ति से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होने से उन्हे पारादेवी के बख्शीश पत्र को शून्य घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। पारा देवी ने अपनी सम्पत्ति का ही बख्शीशनामा किया है। जिसमें वादीगण का कोई हक नहीं होने से वादीगण घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रम 3 ने भी अपनी सम्पत्ति का जिसमें वादीगण का हिस्सा नहीं था का बख्शीश नामा दिनांक 26.06.2013 को किया है, जिसे अवैध व शून्य घोषित करवाने का वादीगण को अधिकार नहीं है। वादीगण का वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। उनका इन सम्पत्तियों में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा नहीं है ना ही इन सम्पत्तियों से हो रही आय में उन्हें कोई हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हें सम्पत्तियों की आय का हिसाब लेने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादीगण का कोई स्वामित्व व कानूनी अधिकार नहीं है। सभी सम्पत्तियां प्रतिवादी क्रम 1 व 2 व लल्लू जी के स्वामित्व व कब्जे की है। इस कारण वादीगण को इन सम्पत्तियों पर

रिसीवर नियुक्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। वाद शीघ्र प्रकृति का नहीं है। प्रतिवादी क्रम 5 को नोटिस दिये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। दिनांक 02.12.2013 व 15.12.2013 को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इस कारण वाद खारित किये जाने योग्य है। वादीगण का सम्पत्ति पर कब्जा नहीं है। सम्पत्तियों की कीमत लगभग एक करोड रूपये से अधिक है। जिन पर वादीगण ने न्याय शुल्क नहीं दिया है। कम न्याय शुल्क देने के आधार पर वाद खारिज किये जाने योग्य है। बाद मियाद बाहर पेश किया है। वाद राजस्व से संबंधित होने के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण उपरोक्त विवरणानुसार किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद वादीगण बहक मिन प्रतिवादीगण मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने कर निवेदन किया।

05. प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह प्रकट किया गया कि यह कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 बैंक के पास रहन दर्ज होने की वजह से विवादित नहीं है। पक्षकारों ने ग्राम जाहोता तह आमेर की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 बैंक के पास रहन रखकर ऋण ले रखा है यदि रहन कृषि भूमि का पक्षकारों ने बख्शीश पत्र निष्पादित कराया है तो वह बख्शीश पत्र अवैध एवं शून्य है। पक्षकारों की ग्राम जाहोता की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 बैंक पास रहन दर्ज है इस कृषि भूमि के संबंध में पक्षकार बख्शीश पत्र निष्पादित करते हैं तो वह बख्शीश पत्र अवैध एवं शून्य रहेगा। प्रतिवादी संख्या 4 बैंक ने कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं किया है। इसमें पक्षकारों में पारिवारिक विवाद संख्या 4 बैंक का कोई भी संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 बैंक नेपक्षकारों के आवेदन पर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार (राजस्व) ग्राम जाहोता की कृषि भूमि को रहन दर्ज करके उपलब्ध कराया है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 बैंक कानून का पालन करते हुए ही कार्य करता है। वादी गण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 बैंक को पाबन्द कराने का कोई अधिकार नहीं है। यदि पक्षकारों ने प्रतिवादी संख्या 4 बैंक के पास रहन कृषि भूमि बाबत कोई बख्शीश पत्र निष्पादित कराया है तो वह बख्शीश पत्र अवैध एवं शून्य रहेगा।

06. प्रतिवादी सं. 4 ने विशेष कथन में प्रकट किया है कि पक्षकारों ने दिनांक 27/11/2012 ग्राम होता की कृषि भूमि को रहन रखकर प्रतिवादी संख्या 4 बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या 4 बैंक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही (राजस्व) पक्षकारों की कृषि भूमि की हन दर्ज

करके पक्षकारों को ऋण उपलब्ध कराया था। इसमें यदि पक्षकारों ने प्रतिवादी संख्या 4 बैंक के पास रहन कृषि भूमि के संबंध में यदि कोई बख्शीश पत्र का निष्पादन किया है तो वह बख्शीश पत्र दोराने रहन अवैध एवं शून्य रहेगा। पक्षकार उपरोक्त कृषि भूमि को रहन से मुक्त करवाकर ही बख्शीश पत्र द्वारा एवं अन्य तरीके से उपरोक्त कृषि भूमि को हस्तांतरण कर सकते हैं। इसमें पक्षकारों में आपसी पारिवारिक विवाद है। विवाद से प्रतिवादी संख्या 4 बैंक का कोई भी संबंध नहीं है प्रतिवादी सख्या 4 बैंक कानून का पालन करते हुए ही अपने कार्य करती है और समें वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 बैंक को पाबंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। क्योंकि इससे प्रतिवादी संख्या 4 बैंक का कोई भी संबंध नहीं है। और अन्य अनुतोष जो न्यायालय व्यायहित में उचित समझे वादीगण से प्रतिवादी संख्या 4 बैंक को दिलाया जाये।

07. प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह प्रकट किया गया कि श्रीराम नाम का कोई पूर्वज प्रतिवादीगण एवं वादीगण का नहीं रहा है। सजरा खानदान से भी स्पष्ट है कि मिन प्रतिवादी कल्याण जी का पुत्र है, जिसका कि प्रतिवादी क्रम 3 शकंर के समान ही वादग्रस्त सम्पत्ति में हिस्सा है। उक्त सम्पत्तियों में मिन प्रतिवादी क्रम 6 का भी हिस्सा है। उक्त दुकाने पुश्तैनी नहीं हैं। वादिनी द्वारा मद संख्या 3 की उपमद 1 में जिन दो दुकानों का हवाला दिया है, उक्त दुकानें कल्याण सहाय जी व रामेश्वर जी के नाम संयुक्त रूप से थी, तथा रामेश्वरजी के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी उक्त दुकानों के हिस्से का मालिक प्रतिवादी हो गया, तथा मिन प्रतिवादी ने अपनी सहमति देकर अपने पिता कल्याण जी से उनके जीवन काल में ही उक्त दुकानें अपने हिस्से समेत प्रतिवादी सं. 1 मोहन के नाम जरिये बख्शीश नामा हस्तान्तरित करवा दी। वादीगण द्वारा उक्त बख्शीशनामा दिनांक 13 अप्रैल, 2005 को दरकिनार करते हुए उक्त दुकानों में स्वंय का हिस्सा बतलाया है, जबकि उक्त दोनों दुकानें सर्वप्रथम कल्याण जी एवं रामेश्वर जी को ही ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की गयी थी, तथा कल्याण जी प्रतिवादी के पिता को अपनी उक्त स्वअर्जित संपति में बख्शीश करने का पूर्ण अधिकार तथा मिन प्रतिवादी द्वारा मिन प्रतिवादी के दतक पिता रामेश्वर जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त दुकानों में मिन प्रतिवादी के बहैसियत दत्तक पुत्र होने से आये हिस्से का बख्शीश नामा करने का अधिकार भी कल्याण जी को दे दिया था।

जिसके कारण उक्त दुकानों का एकमात्र स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 है। उक्त सम्पत्ति ना तो पुश्तैनी है, ना ही उक्त भूमियों में वादीगण का कोई पैसा नहीं है। जिस प्लाट संख्या 5/83 का हवाला दिया गया है। उक्त प्लॉट प्रतिवादी लल्लूराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों ने मिलकर स्वअर्जित आय से क्रय किया है, जिसमें कि मिन प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से कुल 1/2 हिस्सा है, तथा उक्त सम्पत्ति पर बैंक ऑफ बडौदा का लोन है, उक्त लोन भी मिन प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर लिया है, तथा उसकी किश्तें भी उक्त तीनों व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप में अदा की जा रही है। इसके कारण उक्त प्लॉट के संबंध में बाद में कोई भी अनुतोष वादनी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्लॉट से वादनीगण के पिता एवं पूर्वजों का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही कोई जमीन बेचकर उक्त प्लाट खरीद किया गया है। मिन प्रतिवादी लल्लू राम को अपने हिस्से में कल्याण जी का पुत्र होने के आधार पर आई सम्पत्ति, तथा रामेश्वर जी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर प्राप्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में समस्त अधिकार प्राप्त है। इसमें वादीगण का कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है तथा मद में वर्णित प्लॉट पर मिन प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही क्रय के समय से कब्जा रहा है। जिस बाडे का हवाला दिया गया है उक्त बाडा की जमीन भी ग्राम पंचायत जाहौता द्वारा सर्वप्रथम रामेश्वर लाल व कल्याण सहाय जी को जारी की गई है. तथा कल्याण सहाय जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त बाडे में शकंर प्रतिवादी क्रम 3, तथा प्रतिवादी लल्लूराम का बराबर हिस्सा है तथा रामेश्वर जी जिनका कि उक्त बाड़े में 1/2 हिस्सा था, उक्त रामेश्वर जी के स्वर्गवास के बाद उनका दत्तक पुत्र होने के आधार पर मिन प्रतिवादी लल्लू राम के हिस्से में उक्त बाडे में 1/2 हिस्सा भी आ गया है, तथा वादीगण ने कभी भी अपनी शादी के बाद इस बाडे व मकान में निवास नहीं किया है। जिन कृषि भूमियों का हवाला दिया गया है उक्त कृषि भूमियां कल्याण जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक वारिसान शकंर लाल प्रतिवादी संख्या 3, पत्नी पारा देवी (प्रतिवादी की माता), तथा मिन प्रतिवादी लल्लू राम का बराबर का कल्याण जी के हिस्से में हिस्सा है, अर्थात 1.62 हैक्टेयर में 1/3, 1/3 हिस्सा था तथा प्रत्येक का 0.54 हैक्टेयर हिस्सा था। परन्तु मिन प्रतिवादी लल्लूराम जी ने अपना 1/3 हिस्सा अर्थात 0.54 हैक्टेयर हिस्सा पारा देवी व शकर के हक में मौखिक रूप से छोड़ दिया, इसके कारण मिन प्रतिवादी का हिस्सा आधा आधा

पारा देवी व शकरं के पास चला गया, इसके कारण पारादेवी व शकंर के पास अपने 0.54 हैक्टेयर हिस्से में मिन प्रतिवादी के द्वारा दिया गया हिस्सा 0.54 हैक्टेयर का आधा हिस्सा 0.27 हैक्टेयर प्रत्येक को प्राप्त हुआ तत्पश्चात् पारा देवी व शंकर के पास 0.81 हैक्टेयर जमीन प्रत्येक के पास मिन प्रतिवादी के हिस्से को मिलाकर हो गयी। पारादेवी ने मिन प्रतिवादी के हक व हिस्से की जमीन को मिलाकर प्राप्त हुयी जमीन 0.841 हैक्टेयर का प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हक में दान कर दिया है। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी क्रम 3 ने भी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हक में अपने व मिन प्रतिवादी के हिस्से को मिलाकर प्राप्त 0.81 हैक्टेयर जमीन का दान पत्र करवा दिया है। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। वादीगण कभी भी इस भूमि पर कभी भी कब्जे काश्त में नहीं रही है। वादीगण का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। इस भूमि में से सड़क के पास वाले नया कुआ व जमीन मिन प्रतिवादी के एक हिस्से में व कब्जे में है व शेष पर पुराने कुए व जमीन पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे कारत में है। वादीगण ने अपनी शादियों से पूर्व मिन प्रतिवादी की भतीजियां होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्रियां होने के कारण निवास किया है। परन्तु इन सम्पत्तियों के स्वामी उपरोक्त विवरणानुसार प्रतिवादीगण क्रम 6 व स्वर्गीय रामेश्वर जी ही रहे है। बहैसियत स्वामी वादीगण कभी भी इन सम्पत्तियों पर कब्जे काश्त में नही रही है व ना ही आज है। वे सभी अपने अपने ससुराल में रह रही है। जमीनों के भाव बढ़ जाने से नाजायज रकम प्रतिवादीगण से लेने की गरज से ही यह झूठा वाद वादीगण ने पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। उक्त सम्पत्तियां पुश्तैनी नहीं है, ना ही श्रीराम शर्मा नाम का कोई पडदादा था, जिससे यह सम्पत्तियां आयी हो। वादीगण के कब्जे काश्त में ये भूमियां व सम्पत्ति कभी नहीं रही है। लक्ष्मीनारायण, कल्याण सहाय, रामेश्वर का देहान्त हो गया, शकंर लाल, मिन प्रतिवादी का जीवित होना व मिन प्रतिवादी का गोद जाना स्वीकार है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व दादी पारा देवी अपने जीवन काल में पूर्णतया स्वस्थ व स्वस्थ बुद्धि की व अपना भला बुरा सोचना मे पूर्णतया सक्षम थी। उसने अपने हिस्से सम्पत्ति को स्वयं चित्त व बुद्धि व इच्छा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पौत्रों को रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा दान कर दिया है। जिनका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बहैसियत स्वामी उपयोग उपभोग कर रहे है। विगत कई वर्षो से वादीगण अपने पीहर नहीं आई है, उनका बाद मे वर्णित किसी भी संपत्ति से कभी

भी बहैसियत स्वामी संबंध व सरोकार नहीं रहा है व ना ही कोई सम्पत्ति उनके कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 अपने पिता प्रतिवादी क्रम 3 की व दादी की अच्छी सेवा करते रहे है, इस कारण उन्होने प्रसन्न होकर सम्पत्ति का दोनो भाईयों के हक में मिन प्रतिवादी संख्या 6 की सहमति से दान कर दिया है, जिन पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 कब्जे काश्त में है। बख्शीशनामा मिन प्रतिवादी संख्या 6 की सहमति से उसके द्वारा प्रतिवादी क्रम 3 व पारा देवी को अपने हिस्से की जमीन देकर प्रतिवादी संख्या 6 की सहमति से निष्पादित करवाये गये हैं, प्रतिवादी क्रम 3 व दादी पारा ने अपने स्वस्थ चित्त स्वस्थ बुद्धि व बिना दाब धौंस के अपनी सम्पत्तियों को राजीखुशी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हक में दान पत्र / बख्शीशनामा निष्पादित किया है। प्रतिवादी क्रम1 व 2, अपने पिता प्रतिवादी क्रम 3 व दादी पारा की अच्छी सेवा करते आये है। इसी से प्रसन्न होकर बख्शीश पत्र करवाये गये है। इस सम्पत्ति से दादीगण का कोई संबंध नहीं है। ना ही उनका इसमें कोई एक व हिस्सा है। उनका इन सम्पत्तियों में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा नहीं है। पारा देवी को कभी भी उनके स्वस्थ जीवित रहते हुए बाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। जबकि बाद पत्र प्रस्तुत करते समय पारा देवी स्वस्थ एवं जीवित थी, ऐसी स्थिति में पारा देवी द्वारा किये गये बख्शीश पत्र के बारे में वादीगण को ऐतराज करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। मिन प्रतिवादी क्रम 6 व पारा देवी के हक व हिस्से में से वादीगण को कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है। शकर लाल ने जो भी बख्शीश पत्र लिखा व तस्दीक करवाया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है, जिन्हें निरस्त करवाने का वादीगण को अधिकार नहीं है। वादीगण का सम्पत्तियों में कोई हिस्सा नहीं है। उक्त दोनो बख्शीशनामे मिन प्रतिवादी क्रम 6 की सहमति से उसके हिस्से में कल्याण जी की आयी जमीन के साथ शकंर लाल व पारादेवी ने अपने हिस्से का बख्शीशनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादीगण कभी भी इन सम्पत्तियों पर बहैसियत स्वामी काबिज नहीं है। ये सम्पत्तियां मिन प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के स्वामित्व व मिन प्रतिवादी क्रम 6 के स्वामित्व व कब्जे की है। जिनमें वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं। वादीगण को प्रतिवादी को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने विधि के अनुसार ही ऋण जारी किया है व धन प्रदान किया है। वादीगण का इन सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण उनकी सहमति लिया

जाना आवश्यक नहीं था। वादीगण को बैंक को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक से ऋण प्रतिवादी क्रम व 2 तथा मिन प्रतिवादी क्रम 6 के नाम से है। वादीगण का इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है ना ही कभी उनका वादग्रस्त सम्पत्तियों पर कभी कब्जा रहा है। उनको मिन प्रतिवादी या अन्य प्रतिवादीगण को इस सम्पत्ति के हर प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है ना ही प्रतिवादी को पाबन्द करवाने के अधिकारी है। वादीगण प्रत्येक 1/7 हिस्से के अधिकारी नहीं है। वे इन सम्पतियों में से कुछ भी पाने की अधिकारी नहीं है ना ही इस सम्पत्ति का बंटवारा करवाने की अधिकारी है जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण वादीगण ने लालचवश यह झूठा वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। पारा देवी को उसके जीवन काल में बाद में पक्षकार नहीं बनाया है। पारा देवी की सम्पत्ति से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होने से उन्हें पारादेवी के बख्शीश पत्र को शून्य घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। पारा देवी ने अपनी सम्पत्ति मिन प्रतिवादी की सम्पत्ति के साथ मिन प्रतिवादी की सहमति से बख्शीशनामा किया है जिसमें वादीगण का कोई हक नहीं होने से वादी कोई घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रम 3 ने भी अपनी सम्पत्ति का मिन प्रतिवादी के हिस्से की सम्पत्ति के साथ मिन प्रतिवादी की सहमति से जिसमें वादीगण का हिस्सा नहीं था का बख्शीशनामा दिनांक 26.06.2013 को किया है, जिसे अवैध व शून्य घोषित करवाने का वादीगण को अधिकार नहीं है। वादीगण का वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। उनका इन सम्पत्तियों में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा नहीं है ना ही इन सम्पत्तियों से हो रही आय में उन्हें कोई हिस्सा लेने का अधिकार है। उन्हे सम्पत्तियों की आय का हिसाब लेने का कोई अधिकार नहीं है। सम्पतियों पर कोई स्वामित्व व कानूनी अधिकार नहीं है। सभी प्रतिवादी क्रम 1, 2 व मिन प्रतिवादी कब्जे की है। इस कारण वादीगण को इन सम्पतियों पर रिसीवर नियुक्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 02.12.2013 व 15.12.2013 को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। सम्पत्तियों की कीमत लगभग एक करोड रूपये से अधिक है। जिन पर वादीगण ने न्याय शुल्क नहीं दिया है। कम न्याय शुल्क देने के आधार पर बाद खारिज किये जाने योग्य है। वाद मियाद बाहर पेश किया है। वाद राजस्व से सबंधित होने के आधार पर बाद चलने योग्य

नहीं है।

08. प्रतिवादी सं.6 ने विशेष कथन में प्रकट किया है कि मिन प्रतिवादी वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 2 के दादा कल्याण का पुत्र अर्थात उक्त पक्षकारान का चाचा है, जिसका भी कल्याण जी की सम्पत्तियों में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता शकंर लाल के बराबर हिस्सा है, तथा मिन प्रतिवादी को कल्याण जी के भाई रामेश्वर जी ने भी अपने पुत्र की तरह नापी है तथा प्रार्थी को अपना दत्तक पुत्र मानते हुए अपनी समस्त सम्पत्तियां मिन प्रतिवादी को दी है। जिसके कारण चादीगण को मिन प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। अतः जवाब दावा मय विशेष कथन एवं गय शपथ पत्र सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक मिन प्रतिवादी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने का निवेदन किया।

09. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सयुक्त संपत्ति है एवं प्रत्येक वादीगण का 1/7 हिस्सा है ? –– वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति को अनाधिकृत रूप से अंतरित, बेचान व बंधक करना चाहते है ? ––वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति से वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है ? ––वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने बख्शीशनामा दिनांक 06.02.2013 गलत तौर पर निष्पादित किया है तथा वादीगण के अधिकारों की सीमा तक अवैध व शून्य है ? (आदेश दिनांक 22.07.22 द्वारा डिलीट किया गया) –––वादीगण

5. आया वादीगण विवादित संपत्ति पर प्राप्त फसल और किराये की आय के सम्बन्ध में हिसाब करवाने के अधिकारी है ? ––वादीगण

6. आया कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के बंधक है और यदि हॉ तो इसका दावे पर क्या प्रभाव है?

7. आया प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उनके हिस्से में आई संपत्ति को उनके पौत्रों को रजिस्टर्ड दान कर दिया है? (आदेश दिनांक 22.07.22 द्वारा डिलीट किया गया)

———प्रतिवादीगण

8. आया वादी ने न्याय–शुल्क कम अदा किया है ? ——प्रतिवादीगण

9. आया दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ? —— वादीगण

10. अनुतोष ?

11. आया प्रतिवादी संख्या 6, वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा कल्याण का पुत्र है, जिसका कल्याण जी की संपत्तियों में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता शंकरलाल के बराबर हिस्सा है, उसे कल्याण के भाई रामेश्वर ने अपने पुत्र की तरह पाला तथा उसको अपना दत्तक पुत्र मानते हुए अपनी समस्त संपत्तियां उसे दी है? ——प्रतिवादी सं. 6

12. आया वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से, वाद मियाद बाहर होने तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है ? ——प्रतिवादी सं. 6

13. आया वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल एवं पारा देवी द्वारा किए गए दोनों रजिस्टर्ड बख्शीशनामें दिनांकित 26.06.2013 वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध होने से शून्य व अवैध घोषित कराने के अधिकारी है ? ———वादीगण

14. आया पारा देवी प्रकरण में पक्षकार नहीं है अतः उसके द्वारा किए गए बख्शीशनामें को चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है ?

———प्रतिवादीगण

15. आया वाद कारण के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है? ———प्रतिवादीगण

16. आया दोनों दुकानें कल्याण की स्व–अर्जित संपत्ति होने से दोनों दुकानों को हस्तान्तरित करने के अधिकार होने के क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र हस्तान्तरित कर दी जिसे विभाजन कराने का अधिकार वादीगण को नहीं है ? ——प्रतिवादीगण

10. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में पी.ड.1 श्रीमती अन्नू शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श 14 पेश किये।

11. इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से डी.ड.1 मोहनलाल, डी.ड.2 गजानन्द शर्मा, डी.ड.3 राजेश शर्मा, डी.ड.3 लल्लूराम शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 लगायत प्रदर्श ए–5 किये गये।

12. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

13 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से समस्त सपंत्ति पैतृक होना साबित होता है। स्वंय प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में वादीगण द्वारा की गई प्रतिपरक्षा में संपत्तियों को पैतृक होना स्वीकार किया है। प्लाट संख्या 8/83, कल्याण भवन, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर को पुश्तैनी पुश्तैनी भूमि बेचकर क्रय किया जाना, बैंक के खातों के स्टेटमेंट से तथा स्वंय प्रतिवादीगण के गवाहों के प्रतिपरीक्षा के कथनों से साबित होता है। राजस्व रिकार्ड में किया गया इन्द्राज का कोई महत्व नहीं है। अतः दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए–

(1) Prahalad Pradhan & Ors vs. Sonu Kumar & Ors
2019 (3) APEX COURT JUDGEMENT 496 (s c)
(2) Prahalad Pradhan & Ors vs. Sonu Kumar & Ors
AIR (S C)1967-0-1124
(3) जानकी देवी बनाम मनीराम व अन्य
डब्ल्यू एल सी (राज.)2000(3)47

14 बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि वादीगण वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज नहीं है। जो दो दुकाने बनी हुई है उनकी जमीन पंचायत द्वारा कल्याणजी व रामेश्वर जी को आवंटित हुई है।इस प्रकार वो उनकी स्व–अर्जित संपत्ति थी तथा कल्याणजी द्वारा लल्लूराम की सहमति से उक्त दुकानों का बक्शीशनामा मोहन लाल के पक्ष में कर दिया था। उक्त बक्शीशनामें में उक्त संपत्ति मोहन लाल को देने की उनकी अंतिम इच्छा भी अंकित है। उक्त संपत्ति का बक्शीश किए जाने पर मूल्य 100/–रूपये से अधिक रही हो ऐसा साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादग्रस्त सपंत्ति मकान नं.

8/83 स्वअर्जित आय से क्रय की गयी है तथा अन्य सम्पत्तियों के संबंध में भी वादीगण ने पुश्तैनी होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

13. बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है–

15. **<u>विवाद्यक संख्या 1 एवं 16</u>**

(1) आया वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सयुक्त संपत्ति है एवं प्रत्येक वादीगण का 1/7 हिस्सा है?

(16) आया दोनों दुकानें कल्याण की स्व–अर्जित संपत्ति होने से दोनों दुकानों को हस्तान्तरित करने के अधिकार होने के क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र हस्तान्तरित कर दी जिसे विभाजन कराने का अधिकार वादीगण को नहीं है ?

16. विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था तथा विवाद्यक संख्या 16 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। दोनों विवाद्यक एक दूसरे से सम्बन्धित होने तथा जिनमें समान साक्ष्य का विवेचन समाहित होने से एक साथ निर्णित किए जा रहे है।

17. वादग्रस्त सम्पत्ति का विवरण वाद पत्र के मद संख्या 3 में किया गया है जो कि चार अलग अलग जगह की संपत्तियां है जो निम्न प्रकार से है–

(1) दो दुकाने, आगे पीछे जिसमें आगे की दुकान बनी हुई है पीछे की जमीन खाली है, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, बस स्टेण्ड के पास जो कि पुश्तैनी है।

(2) प्लाट संख्या 5/83, कल्याण भवन, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर जो कि ग्राम जाहोता में पुश्तैनी बेचकर कृषि भूमि क्रय किया गया है अर्थात पुश्तैनी पारिवारिक सहदायिक सम्पत्ति की आय से क्रय किया गया है।

(3) पुश्तैनी मकान मय बाड़ा (पीछे की ओर) जिसमें लेट बाथ बने हुए है तथा खाली पडा हुआ है करीब 600–700 वर्गगज, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर महानगर।

(4) कृषि भूमि ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जयपुर, खसरा नम्बर 1782, 1783, 1812, कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.24. हेक्टेयर का आधा भाग।

18. वादगंस्त सपंत्ति के सम्बन्ध में वादीगण के यह अभिवचन है कि उक्त सभी संपत्तियां पुश्तैनी संपत्तियां है जो कि वादीगण के पडदादा लक्ष्मीनारायण के पिता श्रीराम के पूर्व से ही संयुक्त परिवार की सहदायिक सपंत्तियां है जो कि सैकडों वर्षो से अधिक समय से वादीगण के परिवार की सपंत्तियां है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के इस सम्बन्ध में यह अभिवचन है कि वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित सपंत्तियां संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति नहीं है। वाद पत्र के मद संख्या 3 में उल्लेखित संपत्ति संख्या 01जो कि दो दुकानों से संबंधित है बाबत यह अभिवचन है कि उक्त संपत्तियां कल्याण उर्फ मदन लाल व रामेश्वर की स्वअर्जित संपत्ति थी जिन्होंने स्वयं की आय से पंचायत से दुकानें लेकर निर्माण करवाया था तथा उक्त दोनों दुकानों का बक्शीशनामा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दिया था। संपत्ति संख्या 02 अर्थात् प्लाट सं. 5/83 कल्याण भवन, परसराम नगर, ढेहर का बाजाली सीकर रोड, जयपुर के संबंध में यह अभिवचन है कि उक्त संपत्ति का आधा भाग लल्लूराम ने स्वअर्जित आय से व आधा भाग प्रतिवादी सं. 1 मोहन लाल व प्रतिवादी सं.1 गजानन्द ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय किया है। संपत्ति संख्या 3 मकान व बाडा को भी पुश्तैनी नहीं होना अभिवचन किया गया है। संपत्ति संख्या 4 को भी पुश्तैनी नहीं होने के सम्बन्ध में अभिवचन किए गए है इस सम्बन्ध में पारा देवी व शंकर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में दान कर देने के अभिवचन किए गए है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उक्त समस्त संपत्तियों को पुश्तैनी होने से इंकार किया गया है।

19. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 अपने स्वयं के आवेदन के आधार पर पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जिस प्रकार के अभिवचन प्रस्तुत किए गए उन्हीं के अनुरूप अभिवचन प्रतिवादी सं.6 की ओर से प्रस्तुत किए गए है। सपंत्ति संख्या 3 बाडे के सम्बन्ध में अपना आधा हिस्सा होना प्रतिवादी ने अभिवचन किया है।

20. वादीगण की ओर से वाद पत्र की मद संख्या 2 में सजरा खानदान निम्न प्रकार से अंकित किया गया है–

श्रीराम

लक्ष्मीनारायण

कल्याण(पुत्र) रामेश्वर (पुत्र)

पारा पत्नी कल्याण

शंकर(पुत्र) लल्लूराम (पुत्र)

बचपन से रामेश्वर के गोद गये

मोहनलाल	गजानन्द	अन्नु उर्फ अन्नपूर्णा	बबली	रेखा	संतोष
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्र)।

21. प्रतिवादीगण की ओर से इस सजरा खानदान पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है केवल लक्ष्मीनारायण के पिता का नाम श्रीराम होने से इंकार किया गया है लेकिन उनकी ओर से अन्य कोई नाम प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. वादग्रस्त संपत्तियों के सम्बन्ध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण किया जाना है। इससे पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रतिवादी की वादीगण में से वादिया संख्या 3 रेखा देवी तथा वादिया संख्या 2 बबली शर्मा द्वारा प्रतिवादीगण से राजीनामा कर लिया गया तथा उन्होंने न्यायालय में उक्त संपत्तियों के सम्बन्ध में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण का उक्त सपंत्तियों में हक व हिस्सा नहीं होना प्रकट किया।

23. वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित वादग्रस्त संपत्तियों का पृथक पृथक विवेचन निम्न प्रकार से है–

(1) दो दुकाने, आगे पीछे जिसमें आगे की दुकान बनी हुई है पीछे की जमीन खाली है, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, बस स्टेण्ड के पास जो कि पुश्तैनी है।

इस संपत्ति के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से गवाह पी.ड.1 अन्नु शर्मा परीक्षित हुई है जिसने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह प्रकट किया है कि उक्त दोनों दुकानें पुश्तैनी संपत्ति है तथा इस संबंध में गवाह ने दस्तावेज प्रदर्श 5 से लेकर प्रदर्श 8 तथा प्रदर्श 9 फोटो व सीडी प्रस्तुत किये तथा दस्तावेज प्रदर्श 13 बिजली का बिल प्रस्तुत किया है। बिजली के बिल में उपभोक्ता के रूप में शंकर लाल, कल्याण सहाय का नाम अंकित है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दुकानों पर उसका कब्जा नहीं है। उक्त दुकानें रामेश्वर

जी ने पंचायत से ली हो तो पता नहीं है तथा इनका बक्शीशनामा कर दिया हो तो पता नहीं है।

24. प्रतिवादीगण की ओर से इस संपत्ति के सम्बन्ध में डी.ड.1 मोहन लाल शर्मा, डी.ड.2 गजानन्द तथा डी.ड.3 राजेश ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह प्रकट किया है कि उक्त दोनों दुकानें कल्याणजी उर्फ मदन लाल व रामेश्वर जी के नाम से संयुक्त रूप से ग्रम जाहोता बस स्टेण्ड पर स्थित थी जो कि रामेश्वर जी व कल्याण जी की स्वअर्जित संपत्ति थी। रामेश्वर जी के स्वर्गवास के पश्चात् लल्लूराम जी दत्तक पुत्र रामेश्वर जी की सहमति से उक्त दोनों दुकाने कल्याण जी के पास ही रही, कल्याण जी ने ही उक्त दोनों दुकाने लल्लूराम जी की सहमति से बक्शीशनामा के जरिये प्रतिवादी मोहन लाल के नाम हस्तान्तरित कर दी तथा आज भी वह उक्त दुकानों पर काबिज है। इस सम्बन्ध में दस्तावेतज प्रदर्श ए–1 तथा प्रदर्श ए–2 प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श ए–1 पंचायत से भूखण्ड के आवंटन से संबंधित दस्तावेज है तथा दस्तावेज प्रदर्श ए–2 बक्शीशनामा का दस्तावेज है जिसमें मोहन लाल के नाम उक्त दोनों दुकाने बक्शीश किए जाने के तथ्य अंकित है। गवाह मोहन लाल द्वारा उक्त बक्शीशनामा पंजीकृत नहीं होना अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श ए–1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि पंचायत द्वारा 15 X 22 फुट की जमीन खाद डालने के लिए मदन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के आवेदन पर उसको आंवटित की गयी थी। प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में यह साक्ष्य पेश किया गया है कि मदन लाल का ही नाम कल्याण था। इस प्रकार कल्याण पुत्र लक्ष्मीनारायण को 15 X 22 फुट की जमीन पंचायत द्वारा आंवटित होना प्रकट होता है। उक्त भूमि पर दुकाने निर्मित किए जाने बाबत् कथन भी प्रतिवादीगण की ओर से किए गए है। इस प्रकार वादग्रस्त संपत्ति दो दुकानों पैतृक संपत्ति होना प्रकट नहीं होता बल्कि प्रतिवादी शंकर के पिता को पंचायत द्वारा आवंटित होना प्रकट होता है। दस्तावेज प्रदर्श ए–2 यद्यपि पंजीकृत दस्तावेज नहीं है लेकिन इस दस्तावेज में सम्पत्ति का मूल्य भी अंकित नहीं है। इस दस्तावेज में यह तथ्य भी अंकित है कि ''वर्तमान में इन दोनों दुकानों की रजिस्ट्री श्री मोहन लाल शर्मा के नाम होने में असुविधा है कारण कि जेडीए से स्टे लगा हुआ है जो अस्थायी निषेधाज्ञा का है। भविष्य में जब भी स्टे हटेगा व रजिस्ट्री संभव हो जायेगी तब मैं रजिस्ट्री अपने पौत्र श्री मोहन लाल शर्मा के हक में करवा दूंगा लेकिन मेरी वृद्धावस्था है जीवन का कोई भरोसा नहीं है इसलिए मेरे नहीं रहने पर मेरा लडका शंकर लाल शर्मा ही यह रजिस्ट्री मेरे पौत्र श्री मोहन लाल के हक में बिना कोई रकम लिए करा देगा ऐसा मुझसे एततद्वारा अधिकार देता हूॅ।'' उल्लेखनीय है कि स्वयं वादीगण की ओर से परीक्षित पी.ड.1 अन्नू शर्मा ने उक्त संपत्तियों पर अपना कब्जा नहीं होना

प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि ''कल्याण जी एवं लल्लू जी ने यदि दोनों दुकानें मोहन जी को दे दी हो तो उसे पता नहीं है। दुकानों का बक्शीशनामा कल्याण जी एवं लल्लू जी ने मोहन जी के नाम कर दिया हो तो उसे पता नहीं है।'' उक्त समस्त तथ्य वादीगण द्वारा उक्त दुकानों को पुश्तैनी सहदायिकी संपत्ति होने के संबंध में किए गए अभिवचनों के विपरीत है। गवाह डी.ड.3 से इस संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा ही नहीं की गयी है। अतः उसके द्वारा दुकानों के संबंध में प्रकट किए गए तथ्य अखण्डित रहे है। अतः उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से वादग्रस्त संपत्ति दो दुकानें पुश्तैनी सहदायिकी सपंत्ति होना साबित नहीं हुई है।

(2) प्लाट संख्या 5/83, कल्याण भवन, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर।

इस संपत्ति के संबंध में वादीगण का यह अभिवचन है कि यह ग्राम जाहोता की पुश्तैनी जमीन बेचकर खरीदा गया है, इसलिए यह संपत्ति भी पुश्तैनी संपत्ति की श्रेणी में आती है। प्रतिवादीगण की ओर से इस संपत्ति के संबंध में यह अभिवचन है कि उक्त संपत्ति का आधा भाग लल्लू राम जी ने अपनी स्वअर्जित आय से व आधा भाग प्रतिवादी संख्या 1 मोहन लाल व प्रतिवादी सं0.2 गजानन्द ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय कर निर्मित किया है। इस प्लाट को लल्लूराम जी, मोहन लाल जी व गजानन्द जी ने ऋण लेकर निर्मित किया है। जिसकी इस समय भी किश्ते चल रही है। इस जमीन को ग्राम जाहोता की जमीन बेचकर नहीं लिया है।

25. इस संबंध में वादीगण की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.1 अन्नु शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वाद पत्र में अंकित अभिवचनों के अनुरूप ही तथ्य प्रकट किये है। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि प्लाट नं. 5/83 ढेहर के बाजाली के मकान में दो हिस्से है एक हिस्सा लल्लू राम जी के नाम है तथा दूसरा हिस्सा मोहन लाल व गजानन्द के नाम है तथा यह कहना सही है कि पुश्तैनी जमीन लल्लू जी ने बेची थी लेकिन पुश्तैनी कृषि भूमि बेचकर ही सन् 2012 में यह जमीन खरीदी थी। बेची गयी जमीन के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट किया है कि उक्त जमीन लगभग सवा दो बीघा की जमीन थी। प्लाट नं. 5/83 के खरीदने से संबंधित में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना गवाह ने स्वीकार किया है। इस संबंध में लोन लेने बाबत भी यह प्रकट किया है कि गांव की पुश्तैनी कृषि भूमि को गिरवी रखकर लोन लिया गया है। यह लोन गलत लिया गया है क्योंकि हमारी रजामंदी होनी चाहिए थी, लेकिन हमसे पूछे बगैर लोन लिया है। इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में एक्सीस बैंक शाखा, जयपुर को भी पक्षकार बनाया गया है तथा बैंक की ओर से प्रस्तुत

जवाब दावे में यह प्रकट किया गया है कि प्रतिवादी बैंक से कृषि भूमि को रहन रखकर ऋण लिया गया है तथा उनके संबंध में बक्शीशनामा यदि किया गया है तो वह गलत है।

26. प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में डी.ड.1 मोहन लाल ने यह प्रकट किया है कि उक्त संपत्ति ऋण लेकर क्रय की थी। ऋण स्वीकृति पत्र को प्रदर्श ए–3 के रूप में गवाह ने प्रदर्शित करवाया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता है कि मोहनलाल, गजानन्द तथा लल्लूराम को दिनांक 15 फरवरी, 2013 को तेरह लाख रूपये स्वीकृत किए जाने से संबंधित यह दस्तावेज है तथा उक्त स्वीकृति उनके आवेदन पत्र दिनांकित 21.01.2013 के आधार पर जारी की गयी है। इस प्रकार ऋण की स्वीकृति उनके द्वारा जनवरी, 2013 में किए गए आवेदन के आधार पर उसके पश्चात फरवरी, 2013 में किया जाना प्रकट होता है। गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त सम्पत्ति दिनांक 20. 11.2012 को क्रय की गयी थी। इस प्रकार सम्पत्ति क्रय किए जाने के पश्चात् ऋण स्वीकृत के लिए आवेदन करना एवं ऋण स्वीकृत होना प्रकट होता है। गवाह मोहनलाल ने प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट किया है कि उक्त सम्पत्ति उन्नीस लाख रूपये में खरीदी थी तथा जिसके प्रतिफल का भुगतान चैक व नकद से किया था। भुगतान के सम्बन्ध में गवाह के खाते से सम्बन्धित स्टेटमेंट के दस्तावेज को प्रस्तुत करवाने हेतु वादीगण की ओर से प्रयास किया गया। चूंकि प्रतिवादी ने चैक से भुगतान किए जाने का कथन प्रतिपरीक्षा में प्रकट किया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2017 को न्यायालय द्वारा निम्न नोट प्रतिपरीक्षा के समय अंकित किया गया है जो कि सुसंगत है।

''प्रतिवादी को वादी द्वारा दिनांक 01.11.2012 से पूर्व व पश्चात् का बैंक स्टेटमेंट पेश करने हेतु पूर्व पेशी पर निवेदन किया था जिस पर प्रतिवादी के बयान डेफर किये जाकर प्रतिवादी के उक्त अवधि के बैंक स्टेटमेंट पेश करने के आदेश दिए गए थे किन्तु आज प्रतिवादी ने दिनांक 01.11.2012 से पश्चात का बैंक स्टेटमेंट पेश किया है, पूर्व का बैंक स्टेटमेंट प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं करने के संबंध में वादी की आपत्ति रिजर्व रखी जाकर उक्त आपत्ति का निस्तारण अंतिम बहस के समय किया जायेगा तथा आज प्रतिवादी तथा आज प्रतिवादी जिरह शुरू की गयी। ''

इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति को क्रय करने हेतु चैक से भुगतान करने के संबंध में कथन किए जाने के पश्चात् इस संबंध में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया जाना इस बात का ईशारा करता है कि उक्त संपत्ति क्रय करने हेतु चैक से भुगतान नहीं किया गया होगा। यदि ऐसा किया जाता तो प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत किया जाता।

27. वादी द्वारा लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज तलब करवाने का आवेदन किए जाने पर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पश्चात प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श ए–6 बैंक स्टेटमेंट पेश किया गया। इस दस्तावेज में गवाह मोहन लाल ने ए से बी भाग पर पर्सनल लोन से संबंधित ईबारत अंकित होने के तथ्य प्रकट किये है। इस संबंध में दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 06.04.2012 को फुलटर्न इण्डिया को 9621/–रूपये का भुगतान किये जाने का तथ्य इसमें अंकित है। इस प्रकार दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि फुलटर्न इण्डिया को संभवतः किसी ऋण के भुगतान पेटे उक्त राशि गयी होगी, लेकिन अप्रेल 2012 से पूर्व का ऋण होना ही इससे साबित हो सकता है। जबकि स्वीकृत रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति दिनांक 20.11.2012 को क्रय की गयी है। प्रतिवादी की ओर से ऋण के भुगतान के संबंध में प्रदर्श ए–4 पासबुक का दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज में भी वादग्रस्त संपत्ति क्रय किए जाने के आस–पास ऋण संबंधी कोई प्रविष्टि होना नहीं सुझाया गया है। दिनांक 05.11.2012 से 28.11.2012 तक कोई पैसा जमा होने का इन्द्राज इसमें नहीं है। लोन रिकवरी के रूप में राशि निकासी से सम्बन्धित इन्द्राज अंकित है। इस दस्तावेज से वादग्रस्त संपत्ति के सम्बन्ध में ऋण लिए जाने एवं उसका भुगतान किए जाने के तथ्य बखूबी साबित नहीं होते। गवाह डी.ड.1 ने प्रतिपरीक्षा में ऋण लेकर उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति क्रय किए जाने से संबंधित तथ्य प्रकट किए है, लेकिन उक्त तथ्य प्रतिवादीगण के जवाब दावे में अंकित नहीं है। उन्होंने स्वअर्जित आय से उक्त सम्पत्ति क्रय किया जाना जवाब दावे में प्रकट किया है। गवाह डी. ड.1 से प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह प्रश्न किया गया है कि कृषि भूमि दो बीघा जो दिनांक 01.11.2012 को विक्रय की गयी थी और ढेहर के बालाजी का मकान दिनांक 20.11.2012 को क्रय किया गया था। इस संबंध में गवाह ने यह उत्तर दिया है कि मकान का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम की कौनसी जमीन बेची है। इस संबंध में गवाह ने यह प्रकट किया है कि मेरी यह जानकारी में नहीं है कि लल्लूराम जी द्वारा पुश्तैनी जमीन बेचकर ढेहर के बालाजी वाले मकान में पैसा खरीद हेतु लगाया हो। इस प्रकार वादीगण की ओर से बार बार यही पूछा गया है कि वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने हेतु जाहोता की पुश्तैनी जमीन बेचकर पैसा लगाया गया था, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने के सम्बन्ध में किए गए भुगतान के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य में उन्होंने यह प्रकट किया है कि वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने हेतु चैक एवं नकद से भुगतान किया गया था। इस प्रकार यदि चैक से भुगतान किया गया था तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य उनके पास मौजूद था जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया

है। यदि कोई व्यक्ति उसके कब्जे अथवा अधिकार में कोई दस्तावेज है एवं उसे प्रस्तुत नहीं करता है तो यह उपधारणा करने हेतु पर्याप्त आधार है कि वह दस्तावेज या तो उसके पास नहीं है या उसे प्रस्तुत किया जाना उसी के विपरीत है।

28. इस सम्बन्ध में गवाह डी.ड.1 ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श ए–6 में अप्रैल के पश्चात् कभी भी अक्टूबर, 2012 का 67000/–रूपये से ज्यादा बेलेन्स उसके खाते में नहीं रहा। नवम्बर 2012 में उसके खाते में पैसे आये है उक्त पैसे गवाह ने उधार लेने से संबंधित तथ्य प्रकट किए है, लेकिन उधार किससे लिया इस बाबत भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि ढेहर के बालाजी के मकान को खरीदने से पूर्व हमारे द्वारा बैंक ऑफ बडौदा से कोई लोन नहीं लिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज प्रदर्श ए–4 यह कहकर प्रस्तुत किया गया है कि लिए गए ऋण की अदायगी का इन्द्राज इस दस्तावेज में है। दस्तावेज प्रदर्श ए–4 बैंक ऑफ बडौदा के खाते की पासबुक से सम्बन्धित दस्तावेज है। इस प्रकार यदि उक्त वादग्रस्त भूमि पर बैंक ऑफ बडौदा से ऋण ही नहीं किया गया तो उसके सम्बन्ध में ऋण भुगतान बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत किए जाकर वादग्रस्त सपंत्ति को ऋण के पैसे से क्रय किए जाने के तथ्य को गलत रूप से साबित करने के प्रयास किया जाना प्रकट होता है। गवाह डी.ड.1 ने प्रतिपरीक्षा में उसकी आय से संबंधित बार बार प्रश्न किए जाने पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। गवाह ने यह प्रकट किया है कि वह बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में नौकरी करता है। बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन से कोई लोन गवाह को मिला हो उससे संबंधित दस्तावेज भी गवाह ने प्रस्तुत नहीं किया यह उसने स्वीकार किया है। इस प्रकार वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह उनकी स्वअर्जित आय से क्रय की गयी हो। इस संबंध में गवाह डी.ड.3 राजेश कुमार शर्मा को प्रतिपरीक्षा में दस्तावेज प्रदर्श 14 लिखाकर प्रतिपरीक्षा की किए जाने पर गवाह ने यह स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्रदर्श 14 पर उसके पिता का फोटोग्राफ है। उक्त दस्तावेज में विक्रेता के रूप में उसके पिता है। यह बात सही है कि प्रदर्श 14 के अनुसार उक्त विक्रय पत्र 01.11.2012 का है। दस्तावेज के अनुसार उक्त संपत्ति 27,65000/–रूपये में बेची गयी थी। दस्तावेज प्रदर्श 14 के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम जाहोता में स्थित खसरा नं. 1828 की दो बीघा तीन एअर की भूमि लल्लूराम द्वारा रतन लाल शर्मा को प्रतिफल राशि 27,65000/–रूपये में पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु विक्रय किए जाने का तथ्य दस्तावेज में अंकित है। दस्तावेज में यह तथ्य अंकित है कि उक्त संपत्ति पुश्तैनी

कृषि भूमि है। इस प्रकार दस्तावेज प्रदर्श 14 से यह प्रकट होता है कि दिनांक 01.11.2012 को ग्राम जाहोता की पुश्तैनी जमीन खसरा नं. 1828 दो बीघा तीन एअर को 27,65000/–रूपये में विक्रय किया गया था। उक्त दस्तावेज के क्रम में दस्तोवज प्रदर्श ए–6 का पुनः अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि डी.ड.1 मोहन लाल के खाते में दिनांक 05.11.2012, 10.11.2012 एवं 12.11.2012 को क्रमशः एक लाख, एक लाख, दो लाख सेतालीस हजार, एक लाख उन्यासी हजार, एक लाख, एक लाख, उनचास हजार रूपये जमा किए गए है। उक्त राशि उपरोक्त पुश्तैनी जमीन विक्रय किए जाने के समय ही उसके खाते में जमा होना प्रकट होता है। प्रतिवादी डी.ड.1 मोहनलाल ने इस राशि के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि उसे प्रतिपरीक्षा में यह पूछा गया है कि नवम्बर 2012 में उसके खाते में पैसे आये है उक्त पैसे उसने उधार लिए जाने का कथन प्रतिपरीक्षा में किया है। लेकिन उधार लिया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जाना गवाह ने स्वीकार किया है तथा उक्त रूपयों के इन्द्राज में लोन शब्द का इन्द्राज नहीं होना भी गवाह ने स्वीकार किया है तथा यह पैसा कहां से आया उसका भी नाम अंकित नहीं होना गवाह ने स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि जवाब दावे में ऋण लेकर वादगस्त संपत्ति क्रय की गयी हो ऐसा कोई अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पुनः गवाह डी.ड.3 राजेश के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जिसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि जिस जमीन का बेचान किया गया वह हमारे दादा पडदादा की पुश्तैनी जमीन है। इस प्रकार दस्तोवज प्रदर्श 14 में जहां बेची गयी जमीन पुशतैनी होना अंकित है वहीं विक्रेता लल्लूराम के पुत्र राजेश ने प्रतिपरीक्षा में भी यह स्वीकार किया है कि बेची गयी जमीन पुश्तैनी थी। गवाह राजेश ने अपने पिता की आय से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना भी स्वीकार किया है।

29. वादग्रस्त संपत्ति के क्रेता गजानन्द जो कि डी.ड.2 के रूप में परीक्षित हुआ है ने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त संपत्ति को ऋण लेकर क्रय किया जाना कथन किया है तथा ऋण स्वीकृति पत्र ए–3 तथा किश्तों के संबंध में दस्तावेज ए–4 होना कथन किया है। लेकिन इस गवाह द्वारा भी ऋण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गयी है। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में इस संपत्ति के संबंध में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि लल्लूरामजी द्वारा पुश्तैनी जमीन बेची गयी थी, कितनी बेची गयी थी पता नहीं है। ढेहर के बालाजी के मकान को खरीदने के 06 महिने पहले मेरे बैंक खाते में कितने रूपये थे मै नहीं बता सकता। ढेहर के बालाजी वाले मकान खरीदने में मेरे खाते से लेन देन हुआ था कितनी राशि का और कब हुआ था ध्यान नहीं है। मैंने पैसे विनोद जी को दिया था। कहां कहा से

कितने कितने पैसे आये थे मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि ढेहर के बालाजी वाला मकान शामलाती है। लल्लूराम जी पहले कोई भी छोटा मोटा काम कर लेते थे। ढेहर के बालाजी वाले मकान में पुश्तैनी जमीन में से कितने रूपये लगाये मुझे पता नहीं है। पुश्तैनी जमीन का कितना पैसा लल्लूराम जी ने लगाया मैं नहीं बता सकता हूॅ। यह कहना सही है कि पुश्तैनी कृषि भूमि ढेहर के बालाजी के मध्य के मकान खरीदने में 15–20 दिन पूर्व बेची गयी थी। पुश्तैनी कृषि भूमि चाचाजी ने बेची थी समय ध्यान नहीं है। ढेहर के बालाजी को खरीदने के लिए ऋण कौनसे बैंक से लिया कितना लिया था पता नहीं है। गवाह से दिनांक 27.02.2018 को अधूरे बयानों के क्रम में पुनः प्रतिपरीक्षा के समय अंकित किए गए न्यायालय के नोट का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो निम्न प्रकार है–

''गवाह ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा स्टेशन रोड, जयपुर के बैंक स्टेटमेंट की प्रति पेश नहीं की है जिस पर अधिवक्ता वादी ने एडवर्स इन्फ्रेंस लेने का निवेदन किया। उक्त आपत्ति का निस्तारण बहस के समय किया जायेगा।''

इस प्रकार इस गवाह द्वारा जहां ऋण लेकर वादग्रस्त संपत्ति क्रय किए जाने का तथ्य प्रकट किया गया है, लेकिन इस संबंध में बैंक स्टेटमेंट का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना पुनः प्रतिकूल उपधारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि उक्त दस्तोवज में ऋण से संबंधित इन्द्राज नहीं है। इसी क्रम में गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट किया है कि यह सही है कि मेरा बैंक में अकाउण्ट है जिसका स्टेटमेंट हम रखते है। यह सही है कि मेरे स्टेटमेंट पास बुक अपनी इच्छा से पेश नहीं की। मैंने बैंक से पैसे लिए थे लेकिन जवाब दावे में यह अंकित नहीं है। दो बीघा तीन एयर जमीन पुश्तैनी ढेहर के बालाजी का मकान खरीदने से पूर्व जमीन बेचना सुना था। पुश्तैनी जमीन से कितने पैसे लल्लूराम जी को मिले थे मुझे पता नहीं है। इस प्रकार गवाह द्वारा प्रकट किए गये उक्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने हेतु प्रतिवादीगण के द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया था। यदि उनके द्वारा ऋण लेकर सम्पत्ति क्रय की गयी होती तो उससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता। गवाहों ने पूर्व में वादग्रस्त ग्राम जाहोता में स्थित पुश्तैनी जमीन विक्रय किए जाने से संबंधित तथ्य को इंकार किया था। लेकिन ततपश्चात् प्रतिपरीक्षा में उक्त तथ्य दस्तावेज प्रदर्श 14 प्रस्तुत किए जाने पर उनकी ओर से स्वीकार किया गया तथा उससे अर्जित आय से वादग्रस्त संपत्ति क्रय की गयी हो इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर इसकी जानकारी नहीं होना कथन किया गया जिससे यह बखूबी साबित होता है कि वादग्रस्त संपत्ति को दस्तावेज प्रदर्श 14 के द्वारा पूर्व में पुश्तैनी जमीन विक्रय करके प्राप्त प्रतिफल राशि से क्रय किया गया है। अतः यह संपत्ति पुश्तैनी सहदायिकी संपत्ति होना निर्धारित किया जाता है।

(3) पुश्तैनी मकान मय बाड़ा (पीछे की ओर) जिसमें लेट बाथ बने हुए है तथा खाली पडा हुआ है करीब 600–700 वर्गगज, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर महानगर।

वादीगण ने इस संपत्ति के संबंध में यद्यपि कोई माप अंकित नहीं किया है, लेकिन मकान के पास खाली पडी जगह 600–700 वर्गगज होना अपने वाद पत्र में अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में यह अंकित है कि उक्त मकान व बाडा में वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। मकान शंकरलाल जी का वरवक्त वाद में संबंध नहीं होने से वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है और न ही वादीगण ने शादी के बाद से इस मकान व बाडे में निवास किया। यह मकान पुश्तैनी नहीं है। लेकिन इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित गवाह डी.ड.1 मोहन लाल डी.ड.2 गजानन्द तथा डी.ड. 3 राजेश ने केवल बाडे के संबंध में ही बयान दिये है। उनके मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह तथ्य अंकित है कि वादीगण ने जिस बाडे का हवाला दिया है उक्त बाडे की जमीन सर्वप्रथम रामेश्वर लाल, कल्याणसहाय उर्फ मदनलाल जी को जारी किया गया था। कल्याण सहाय जी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त बाडे में प्रतिवादी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 6 के हिस्से में आ गया तथा प्रतिवादी सं. 6 रामेश्वर जी के गोद चला गया। इस प्रकार मकान के संबंध में कोई तथ्य अपने शपथ पत्र में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाना एक तरह से उक्त संपत्ति को उनकी ओर से पुश्तैनी होना स्वीकार कर लिए जाने की तरह ही है। यद्यपि इस संबंध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किया जाना न्यायोचित होगा।

30. प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में दस्तोवज प्रदर्श ए–5 प्रस्तुत किया गया है। दस्तोवज प्रदर्श ए–5 ग्राम पंचायत जहोता द्वारा रामेश्वर व कल्याण को दिनांक 07.03.1965 को उनके द्वारा चाहने पर उनके पुख्ता मकान के पूर्ण होने में जो जगह कम पड रही है इस संबंध में पंचायत द्वारा दिनांक 18.04.1965 को निर्णय लिया जाकर उनके मकान के पास स्थित खाली जगह उत्तर–दक्षिण 25 फुट, पूर्व–पश्चिम सवा छ फूट जिसका साढे सत्रह वर्गगज कुल नाप अंकित है को पिचहतर नये पैसे प्रतिगज के हिसाब से 13/–रूपये 12 नये पैसे में उन्हें विक्रय कर दिए जाने से संबंधित तथ्य इस दस्तावेज में अंकित है। इस प्रकार मकान के पास उक्त भूखण्ड को पंचायत द्वारा रामेश्वर व कल्याण को विक्रय किए जाने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। रामेश्वर व कल्याण वादीगण तथा प्रतिवादीगण के दादा है उनकी ओर से उक्त संपत्ति को किसी भी पक्षकार को स्थान्तरित कर दिया गया हो इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार के अभिवचन मौजूद है। वादीगण की ओर से परीक्षित गवाह पी. ड.1 अन्जू ने इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श 12 प्रस्तुत किया है। दस्तावेज प्रदर्श 12

जो कि विद्युत के बिल से सम्बन्धित दस्तावेज है में उपभोक्ता के रूप में रामेश्वर व कल्याण पुत्र लक्ष्मीनारायण का नाम अंकित है। इस प्रकार मकान का बिल रामेश्वर व कल्याण के नाम होने से संबंधित दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने भी मकान के पास मौजूद भूखण्ड को रामेश्वर व कल्याण को पंचायत द्वारा विक्रय किए जाने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 ने इस संबंध में जवाब दावा में वादग्रस्त इस संपत्ति के संबंध में यह कथन किया है कि उसका शंकर के बराबर हिस्सा है। लल्लूराम के हिस्से का वादग्रस्त संपत्ति में बटवारा हो गया हो इस प्रकार का कोई कथन प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में जवाबुल जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य भी सामने आये है कि लल्लूराम बचपन से ही रामेश्वर के गोद चला गया था। इस प्रकार कल्याण तथा रामेश्वर द्वारा पूर्व में स्थित मकान में जगह कम होने के आधार पर पंचायत से दस्तावेज प्रदर्श ए–5 में अंकित भूमि पंचायत से क्रय किए जाने से सम्बन्धित तथ्य प्रकट होते है। कल्याण तथा रामेश्वर की मृत्यु हो जाना दोनों पक्षों में स्वीकृत तथ्य है। उनकी ओर से इस सम्पत्ति को किसी को अन्तरित कर दिया गया हो यह भी प्रकट नहीं किया गया है। इस संबंध में गवाह डी.ड.2 गजानन्द ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि गांव में पुश्तैनी मकान मय बाडा दादाजी के समय से ही देखते आ रहे है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि यह सम्पत्ति दादा पडदादा से चली आ रही हो। इसी प्रकार गवाह डी.ड.3 राजेश कुमार ने भी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वाद पत्र में पद संख्या 3 में वर्णित संपत्तियां मद संख्या 3 की उपमद संख्या 1, 3 ,4 में वर्णित सपंत्तियां मेरे पिताजी ने नहीं खरीदी थी। अजखुद कहा कि मेरे दादाजी ने खरीदी थी। उपर से आ रही है मेरे दादाजी ने नहीं खरीदी। उक्त संपत्तियां हमारे पडदादा जी से ही चली आ रही है। इस संबंध में यद्यपि वादिया पी.ड.1 अन्नु शर्मा ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उसके प्रतिपरीक्षा के कथनों से यह प्रकट नहीं करवाया जा सका है कि उक्त संपत्ति पुश्तैनी ना हो। गवाह ने इस संपत्ति के संबंध में प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट किया है कि पुश्तैनी मकान के पीछे की जमीन की लम्बाई चौडाई का ध्यान नहीं है लेकिन लगभग 600–700 वर्गगज है। पुश्तैनी मकान में पॉच कमरे हमारे व पॉच कमरे रामेश्वर जी के है। पुश्तैनी मकान का बाडा किसके नाम है यह नहीं पता। फिर कहा कि यह कल्याण सहाय व शंकर लाल जी के नाम है। पुश्तैनी मकान में मैं रहती नहीं हूॅ आती जाती हूॅ। उस पुश्तैनी मकान में मेरे भाई छोटा व मामी रहती है इसके अलावा चाची व उसका परिवार रहता है। यह बात सही है कि इस पुश्तैनी मकान में चारों बहने आती जाती है, रहते नहीं है। यह बात सही है कि उक्त विवादित संपत्ति पर दादा, पिता, पडदादा के

समय से काबिज हूँ।

31. इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं साक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति मकान एवं बाडे के संबंध में केवल मात्र दस्तावेज प्रदर्श ए–5 प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेज ए–5 से यह प्रकट होता है कि रामेश्वर तथा कल्याण को उनके पुख्ता मकान के पूर्वमुखी में जो जगह कम पड रही थी उस हेतु पंचायत द्वारा उत्तर से दक्षिण 25 फुट तथा पूर्व से पश्चिम सवा छ फुट, इस प्रकार कुल साढे सत्रह वर्गगज की जमीन दी गयी थी। उक्त दस्तावेज से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस दी गयी जमीन के अतिरिक्त मकान की पूर्वमुखी जमीन उनके पास पहले से मौजूद थी। उक्त पहले से मौजूद जमीन को उन्होंने क्रय किया हो इस प्रकार का कोई अभिवचन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं है ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत की गयी साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकृत तथ्यों से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त संपत्ति मकान पुश्तैनी संपत्ति है तथा जिसके निर्माण में कम पड रही जमीन जो कि दस्तोवज प्रदर्श ए–5 द्वारा दी गयी थी वह रामेश्वर तथा कल्याण द्वारा क्रय की गयी थी तथा रामेश्वर एवं कल्याण की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके द्वारा इस संपत्ति को किसी को अन्तरित कर दिया हो इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार सजरा खानदान के अनुसार रामेश्वर तथा कल्याण का उक्त हिस्से में आधा–आधा हिस्सा होने से तथा लल्लूराम द्वारा रामेश्वर के गोद चले जाने से उक्त संपत्ति में उसका आधा हिस्सा एवं कल्याण के वारिस शंकर की मृत्यु हो जाने पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का शेष आधा हिस्सा उनका बनता है। पक्षकारों द्वारा यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि प्रस्तुत सजरा खानदान के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस मौजूद हो। इस प्रकार यह सपंत्ति उपरोक्तानुसार पैतृक एवं कल्याण व रामेश्वर की क्रय की हुई होना प्रकट होता है।

(4) कृषि भूमि ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जयपुर, खसरा नम्बर 1782, 1783, 1812, कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.24. हेक्टेयर का आधा भाग।

इस सम्बन्ध में काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 242 निम्न प्रावधान करती है–

''सिविल न्यायालय में टिनेन्सी के अधिकार की दलील पेश की जाने की दशा में प्रक्रिया– यदि सिविल न्यायालय में कृषि भूमि के संबंध में दायर किए गए किसी वाद में टिनेन्सी के अधिकार संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाये और उस प्रश्न का निर्णय सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पहले विनिश्चय नहीं किया गया हो तो उक्त सिविल न्यायालय टिनेन्सी के अधिकार की

दलील पर एक वाद पत्र स्थित करके अभिलेख को केवल उसी वाद पद के निर्णय हेतु समुचित राजस्व न्यायालय को प्रेषित कर देगा।''

इस संबंध में पूर्व में उल्लेखित ***जानकी देवी बनाम मनीराम एवं अन्य*** के मामले में भी यह निर्धारित किया गया है कि विभाजन के मामले में जहां कृषि भूमि तथा अन्य अचल संपत्ति दोनों के संबंध में सम्मिलित रूप से दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वह सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है अंकित किया गया है। अतः उपबंधित विधि के अनुसार यह संपत्ति कृषि भूमि होने से इसके संबंध में विवाद्यक पद निम्न प्रकार से कायम किया जाकर राजस्व न्यायालय से निर्धारण हेतु पक्षकारों द्वारा न्यायालय का नाम सुझाये जाने पर प्रकरण प्रेषित किया जाना निर्धारित किया जाता है।

'' आया कृषि भूमि ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जयपुर खसरा नं. 1782, 2783, 1812 खसरा 3 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर पुश्तैनी सहदायिकी संपत्ति है जिस पर वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है ?''

32. इस प्रकार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के विवेचन के पश्चात वाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित चार संपत्तियों में से संपत्ति सं. 1 दो दुकाने आगे पीछे जिसके आगे की दुकान बनी हुई है पीछे की जमीन खाली है, ग्राम जाहोदा तहसील आमेर, बस स्टेण्ड के पास पुश्तैनी संपत्ति होना साबित नहीं हुआ है। इसी प्रकार संपत्ति सं. 2 प्लाट सं. 5/83, कल्याण भवन, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर जो कि ग्राम जाहोता की पुश्तैनी कृषि भूमि बेचकर क्रय किया जाना प्रकट हुआ है। अतः यह संपत्ति पुश्तैनी पारिवारिक सहदायिक सम्पत्ति की आय से क्रय किए जाने से पुश्तैनी पारिवारिक सहदायिकी संपत्ति होना निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार संपत्ति संख्या 3 पुश्तैनी मकान मय बाडा पीछे की ओर जिसमें लेट बाथ बने हुए तथा खाली पडा हुआ करीब 600–700 वर्गगज, ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जयपुर महानगर की संपत्ति में पुश्तैनी मकान सहदायिकी संपत्ति होना निर्धारित किया जाता है, लेकिन इसके पास स्थित जगह उत्तर दक्षिण 25 फुट तथा पूर्व पश्चिम सवा छ फुट जिसका कुल माप साढे सत्रह वर्गगज है रामेश्वर तथा कल्याण की पंचायत से क्रय की हुई संपत्ति होना निर्धारित किया जाता है। अतः सर्वप्रथम विवाद्यक सं. 16 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। विवाद्यक संख्या 01 आंशिक रूप से उपरोक्तानुसार इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित संपत्ति में से संपत्ति संख्या 2 व 3 उपरोक्तानुसार वर्णित पुश्तैनी एवं सहदायिक संपत्ति है। संपत्ति संख्या 4 कृषि भूमि के संबंध में विवाद बिन्दू कायम किया जाकर राजस्व न्यायालय को प्रेषित किया जाना निर्धारित किया जाता है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से साबित पाया

जाता है।

33. **विवाद्यक संख्या 2 व 3**

''आया प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति को अनाधिकृत रूप से अंतरित, बेचान व बंधक करना चाहते है ?''

''आया प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति से वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है ?''

उक्त विवाद्यकों में समान साक्ष्य का विवेचन समाहित होने से उक्त दोनों विवाद्यकों का एक साथ निर्धारण किया जा रहा है। इन विवाद्यकों के निस्तारण से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विवाद्यक संख्या 1 को जिस प्रकार से निर्णित किया गया है उससे यह प्रकट होता है कि वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित संपत्ति में से केवल संपत्ति संख्या 2 तथा संपत्ति संख्या 3 ही इस स्टेज पर पुश्तैनी सहदायिकी संपत्ति होना साबित पाया गया है। अतः इन्हीं सपंत्तियों के संबंध में यह देखा जाना है कि वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करने पर उतारू है अथवा नहीं एवं उक्त संपत्तियों का वादीगण अनाधिकृत रूप से अंतरण, बेचान, बंधक करने पर उतारू है अथवा नहीं। सर्वप्रथम उक्त सपंत्तियों पर वादीगण के कब्जे से संबंधित तथ्य बाबत प्रस्तुत की गयी साक्ष्य पर गौर किया जाये तो वादिया पी.ड.1 अनु शर्मा ने यह प्रकट किया है कि पुश्तैनी मकान में मेरा छोटा भाई व मामी रहती है। इसके अलावा चाची व उसका परिवार रहता है। यह बात सही है कि इस पुश्तैनी मकान में चारों बहने आती–जाती रहती है, रहती नहीं है। आखिर बार जब मेरे पिता खत्म हुए थे तो दिनांक 09.10.2017 को गयी थी। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का इस संबंध में तर्क रहा है कि वादीगण वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज नहीं है। चूंकि वादग्रस्त संपत्ति पर वादिया ने समय–समय पर आना जाना कथन किया है। प्रतिवादीगण की ओर से इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उन्हें कब उक्त संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया था। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त ***निलावती एवं अन्य बनाम एन. नटराजन एवं अन्य 1980 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट 691*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह न्याय निर्णय पारित किया है कि–

'' The general principie of law is that in the case of co-owners, the poossesion of one in law possesion of all, unless ouster exclusion is proved- To

continue to be in joint possession in law, it is not necessary that the plaintiff should be in actual possession of the whole or part of the property."

34- इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय निर्णय के आधार पर प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि उन्होंने किस दिन वादीगण को वादग्रस्त संपत्तियों से बेदखल कर दिया था। अतः वादग्रस्त संपत्तियों पर वादीगण का कब्जा होना साबित पाया जाता है। वादीगण की ओर से वादिया अनु शर्मा ने पी.ड.1 के रूप में परीक्षित होकर यह कथन किया है कि दिनांक 16.05. 2013 के पश्चात् से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादीगण के भाई है, के नियत में खोट आ गयी और येनकेन प्रकारेण उक्त संपत्तियों को हडपना चाहते है और उन्होंने अपने पिता शंकर लाल को भी अपने प्रभाव में ले लिया है और अपनी इच्छानुसार वे उन्हें प्रोत्साहित करते रहते है। वे उन सपत्तियों को हडप लेना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ग्राम जाहोता कृषि भूमि का अवैध रूप से बक्शीशनामा उन्होंने निष्पादित किया है। उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त संपत्ति संख्या 02 की भूमि के सम्बन्ध में साक्ष्य के विवेचन के समय यह साबित पाया गया है कि प्रतिवादी सं. 6 लल्लूराम द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 14 के माध्यम से पुश्तैनी संपत्ति को विक्रय कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र के दस्तावेज में पारिवारिक आवश्यकताओं का उल्लेख होना अंकित है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किन पारिवारिक आवश्यकताओं के तहत उक्त संपत्ति को विक्रय किया गया था। इस प्रकार पूर्व में भी पैतृक संपत्ति के विक्रय कर दिए जाने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए तथा वादिया द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन करने से कि वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करने पर उतारू है तथा उक्त संपत्ति को हडप लेना चाहते है, के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त दोनों विवाद्यक वादीगण के पक्ष में तय किए जाते है।

35. **विवाद्यक संख्या 5**

आया वादीगण विवादित संपत्ति पर प्राप्त फसल और किराये की आय के सम्बन्ध में हिसाब करवाने के अधिकारी है ?

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर था। सर्वप्रथम यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित कृषि भूमि

के सम्बन्ध में अभी इस स्टेज पर कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में प्राप्त फसल बाबत कोई निष्कर्ष निकालना इस स्टेज पर उचित नहीं है। किराये की आय के संबंध में भी वाद पत्र में यह तथ्य अंकित है कि ''वर्णित संपत्तियों में वादीगण का 1/7 हिस्सा है, जबकि कृषि भूमि दोनों दुकानें व अन्य दोनों मकान से जो आय प्राप्त हो रही है उसमें उनका हिस्सा प्राप्त करने का वादीगण अधिकारी है।'' इस प्रकार सभी संपत्तियों से होने वाली आय के संबंध में अभिवचन वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए है। वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित दो दुकान के संबंध में यह निर्धारण किया गया है कि उक्त दुकानें पुश्तैनी नहीं है तथा उस पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित संपत्ति संख्या 2 व 3 से किसी प्रकार की आय अर्जित होती हो इस बाबत कोई साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह विवाद्यक सपंत्ति संख्या 1, 2 व 3 के संबंध में वादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। संपत्ति संख्या 4 के संबंध में इस स्टेज पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जाने से उस संबंध में इस विवाद्यक को लंबित रखा जाना न्यायोचित होगा। अतः यह विवाद्यक आंशिक रूप से वादीगण के विरूद्ध तय किया जाकर सपंत्ति संख्या 4 के संबंध में विवाद्यक का निस्तारण लंबित रखा जाता है।

36. **विवाद्यक संख्या 8**

आया वादी ने न्याय शुल्क कम अदा किया है ?

इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य जिस प्रकार से वादिया ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है उस प्रकार से ना होकर कोई अन्य हो। वादिया ने इस संबंध में अपने वाद पत्र में यह प्रकट किया है कि मुकदमा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का होने के कारण वाद मूल्यांकन 400/–रूपये कायम किया जाकर 10/–रूपये तथा दावा विभाजन का मूल्यांकन करीब दस लाख रूपये हैं चूंकि वादीगण इस सपंत्तियों पर काबिज है इसलिए न्याय शुल्क 200/–रूपये पर तथा मुकदमा बाबत शून्य किए जाने दस्तावेज घोषणा मूंल्यांकन 400–400/–रूपये कायम किया जाकर न्याय शुल्क 20/–रूपये पर प्रस्तुत कर इस प्रकार 230/–पर न्याय शुल्क पर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वादपत्र में अंकित चार संपत्तियों में से

क्रम सं. 4 की कृषि भूमि की संपत्ति के संबंध में कायम किए गए विवाद्यक का निर्धारण अभी राजस्व न्यायालय से होना है तथा इस संबंध में घोषणा बाबत् जो अनुतोष चाहा गया है वह भी उक्त विवाद्यक के निस्तारण पर निर्भर है। लेकिन वाद पत्र में जिस प्रकार वाद का मूल्यांकन किया गया है उसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त नीलावटी एवं अन्य बनाम एन. नटराजन एवं अन्य के मामले को मध्यनजर रखते हुए तथा प्रकरण में आई साक्ष्य के मध्यनजर वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित संपत्ति संख्या 2 व 3 पर वादीगण का कब्जा होना भी उपरोक्त विवाद्यकों के विवेचन में निर्णित किया गया है। अतः इस संबंध में कायम वाद मूल्यांकन के आधार पर न्याय शुल्क 200/–रूपये उचित होना प्रकट होता है। लेकिन चूंकि वादग्रस्त संपत्ति संख्या 4 कृषि भूमि के संबंध में अभी इस स्टेज पर कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अतः न्याय शुल्क के संबंध में कायम किए गए इस विवाद्यक को पूर्णरूप से निर्णित किया जाना इस स्टेज पर न्यायोचित नहीं है। अतः इस विवाद्यक को लंबित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

37. **विवाद्यक संख्या 11**

> ''आया प्रतिवादी संख्या 6, वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा कल्याण का पुत्र है, जिसका कल्याण जी की संपत्तियों में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता शंकरलाल के बराबर हिस्सा है, उसे कल्याण के भाई रामेश्वर ने अपने पुत्र की तरह पाला तथा उसको अपना दत्तक पुत्र मानते हुए अपनी समस्त संपत्तियां उसे दी है?''

इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 6 पर था। इस विवाद्य के सम्बन्ध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिचनों के आधार पर यह तथ्य अभिवचनों में प्रकट तथ्यों से प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 6 लल्लूराम, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के दादा कल्याण का पुत्र है। कल्याण का पुत्र होने के नाते कल्याण की संपत्तियों में प्रतिवादी सं. 6 का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता शंकर लाल के बराबर उसका हिस्सा है अथवा नहीं, इस तथ्य के सम्बंध में यदि स्वयं प्रतिवादी सं. 6 के अभिवचनों पर गौर करें तो जवाब दावे में उसने यह प्रकट किया है कि प्रतिवादी लल्लूराम को अपने हिस्से में

कल्याण जी का पुत्र होने के आधार पर आई संपत्तियों तथा रामेश्वर जी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर प्राप्त संपत्तियों के संबंध में समस्त अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा स्वयं को रामेश्वर का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया गया है एवं इस आधार पर उसने अपने प्राकृतिक पिता की संपत्तियों में तथा अपने दत्तक पुत्र होने के आधार पर रामेश्वर की संपत्तियों में दोनों में हिस्सा होना उसने अभिवचन किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इस संबंध में प्रतिवादी डी.ड.1 मोहन, डी.ड.2 गजानन्द तथा डी.ड.3 रामेश्वर तीनों ने ही अपने मुख्य परीक्षा के सशपथ पत्र में यह प्रकट किया है कि वादग्रस्त संपत्ति बाडा की जमीन रामेश्वर तथा कल्याण द्वारा क्रय की गयी थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात इस संपत्ति का आधा हिस्सा रामेश्वर जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके दत्तक पुत्र होने के आधार पर प्रतिवादी सं. 6 लल्लू राम का हो गया। इस प्रकार अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में भी प्रतिवादी सं. 6 लल्लूराम को रामेश्वर का दत्तक पुत्र होना प्रकट किया गया है। गवाह डी.ड.1 मोहनलाल ने प्रतिपरीक्षा में भी यह स्वीकार किया है कि लल्लूराम जी रामेश्वर जी के गोद चल गये थे। यह प्रकट किया है कि जब मैं 25 साल का था तब पता चला कि लल्लूराम जी गोद चले गये थे। पत्रावली पर इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं आया है कि लल्लूराम, रामेश्वर के गोद चला गया उससे पूर्व वादग्रस्त संपत्तियों का बंटवारा हो गया हो। अतः ऐसी स्थिति में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किए जाने से कि लल्लूराम रामेश्वर की गोद चला गया था,। यह नहीं माना जा सकता कि कल्याण के भाई रामेश्वर ने केवल लल्लूराम को दत्तक पुत्र की तरह पाला हो और दत्तक पुत्र मानते हुए उसे अपनी संपत्ति दे दी हो एवं इस आधार पर वह कल्याण की संपत्तियों में शंकर लाल के भाई होने के आधार पर बराबर हिस्सा रखता हो। अतः प्रतिवादी संख्या 06 संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत दावा विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत होने से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्ध तय किया जाता है।

38. **विवाद्यक संख्या 9, 12**

आया दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है?

आया वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से, वाद मियाद बाहर होने तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित होने

के कारण खारिज किए जाने योग्य है ?

उक्त दोनों विवाद्यक न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से संबंधित होने से एक साथ निर्णित किए जा रहे है।

इन विवाद्यकों के संबंध में सर्वप्रथम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब दावे की मद संख्या 20, 22 तथा 23 में निम्नलिखित अभिवचन प्रस्तुत किए गए है–

''यह कि वाद पत्र की मद संख्या 20 अस्वीकार है। मद में दर्शित कोई घटनाएं नहीं हुई। इस कारण दिनांक 02.12.2013 व 15.12.2013 को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण वाद खारिज किए जाने योग्य है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 22 अस्वीकार है। वाद मियाद बाहर पेश किया गया है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 23 अस्वीकार है। वाद राजस्व से संबंधित होने के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं है।''

39. इस संबंध में वाद पत्र के मद संख्या 20 में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि वादीगण को वाद कारण 02 दिसम्बर, 2013 को बक्शीशनामा की जानकारी करने पर तथा उसके पश्चात् राजस्व दस्तावेज को देखने पर उत्पन्न हुआ तथा उसके पश्चात् दिनांक 15.12.2013 को विभाजन हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किए जाने तथा धमकी दिए जाने पर उत्पन्न हुआ तथा उनके कृत्यों से लगातार जारी है।

40. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे की मद संख्या 20, 22 तथा 23 भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाद दावे के अनुरूप ही है।

41. इस प्रकार प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर कायम किए गए उपरोक्त दोनों विवाद्यकों में निम्नलिखित चार बिन्दू उभरकर सामने आते है–

(1) प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

(2) दावा मियाद बाहर है।

(3) न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(4) न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है।

42. जहां तक प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न है। वादीगण द्वारा पूर्व में सर्वप्रथम दावा केवल मोहन लाल, गजानन्द, शंकर लाल, एक्सिस बैंक तथा तहसीलदार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 लल्लूराम स्वयं अपने आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बना है। न्यायालय आदेशिका दिनांक 30.07.2016 से यह प्रकट होता है कि स्वयं प्रतिवादी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट किया गया कि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः उसे पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाये। उल्लेखनीय है कि प्रकरण संपत्तियों के बंटवारे से सम्बन्धित है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वाद पत्र में अंकित सम्पत्तियों में अपना हिस्सा होना अपने जवाब दावे में अंकित किया है। वादीगण ने वाद कारण उत्पन्न होने के संबंध में अपने वाद पत्र में यह प्रकट किया है कि वादग्रस्त संपत्तियों के संबंध में बक्शीश पत्र दिनांक 26.06.2013 को निष्पादित किए गए जिसकी जानकारी उन्हें दिसम्बर, 2013 में हुई तथा इसके पश्चात् उन्होंने दिनांक 15.12. 2013 को विभाजन हेतु प्रतिवादी सं. 1 से 3 से निवेदन किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। जिस पर उन्हें वाद कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी सं.6 जो कि वादग्रस्त संपत्ति में अपना हित प्रकट करना है एवं जवाब दावा प्रस्तुत कर यह प्रकट करता है कि वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति में कोई हक नहीं है तो उसकी ओर से यह कहना कि वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ उसी के अभिवचनों के विपरीत कथन को दर्शाता है। अतः वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होना प्रकट होता है।

43. दावे के मियाद बाहर होने के संबंध में यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से अभिवचन प्रस्तुत किए गए है। लेकिन इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि वादीगण को दिनांक 26.06.2013 से पूर्व वाद कारण उत्पन्न हो गया हो एवं दावा मियाद बाहर हो गया हो। इस संबंध में वादीगण की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.1 अन्नू शर्मा ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में भी यह प्रकट किया है कि वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में बक्शीश पत्र दिनांक 26.06.2013 को संपादित किए गए जिन्हें गवाह ने प्रारम्भ से अवैध व शून्य होना अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कथन किया है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत वाद वादीगण की ओर से न्यायालय में दिनांक 17.12.2013 को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक से दावा विहित समयावधि में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय द्वारा कार्यालय रिपोर्ट लिए जाने पर यह रिपोर्ट की गयी है कि '' विवादग्रस्त संपत्ति न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकार के अलावा चौमू न्यायालय के क्षेत्राधिकार की भी है।'' इस प्रकार वादग्रस्त संपत्ति में से कुछ संपत्ति न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने की रिपोर्ट की गयी है। प्रतिवादीगण की ओर से इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि समस्त वादग्रस्त संपत्ति न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं हो। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 16 एवं 17 में उपबंधित विधि के अनुसार जहां संपत्तियां जिनके बंटवारे के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है एक से अधिक न्यायालय के क्षेत्राधकार में मौजूद हो तो किसी सी एक न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें उन विभिन्न संपत्तियों में से कोई एक संपत्ति स्थित हो। जहां तक प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने का प्रश्न है। इस संबंध में उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त संपत्ति में से एक सपंत्ति जो कि वाद पत्र के मद संख्या 3 क्रम सं0 4 पर अंकित है, अर्थात कृषि भूमि ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जयपुर खसरा नं. 1782, 1783, 1812 कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर का आधा भाग वह संपत्ति कृषि भूमि की होने से राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार की संपत्ति है। लेकिन इस संबंध में उक्त संपत्ति के अतिरिक्त क्रम सं. 1 से लेकर 3 की सपंत्ति सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार से संबंधित होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जानकी देवी बनाम मनीराम अन्य डब्ल्यूएलसी (राज.) 2000(3)47 में प्रतिपादित न्याय निर्णय के मध्यनजर समग्र मुकदमा (कम्पोजिट सूट) के मामले में सिविल न्यायालय को ऐसे मामले का श्रवणाधिकार होने के सिद्धान्त के आधार पर यह मामला इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का होना प्रकट होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 9 वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है तथा विवाद्यक संख्या 12 प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्ध तय किया जाता है।

44. **विवाद्यक संख्या 13 एवं 14**

आया वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल एवं पारा देवी द्वारा किए गए दोनों रजिस्टर्ड बख्शीशनामें दिनांकित 26.06.2013 वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध होने से शून्य व

अवैध घोषित कराने के अधिकारी है?

आया पारा देवी प्रकरण में पक्षकार नहीं है अतः उसके द्वारा किए गए बख्शीशनामें को चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है?

उपरोक्त दोनों विवाद्यक वाद पत्र के मद संख्या तीन में अंकित संपति संख्या 4 कृषि भूमि से संबंधित है। अतः उक्त संपत्ति के संबंध में विवाद बिन्दू कायम किया जाकर राजस्व न्यायालय को प्रेषित किए जाने के कारण उक्त बिन्दूओं का निर्धारण इस स्टेज पर किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उक्त दोनों विवाद्यक वाद के आगामी प्रक्रम पर निस्तारित करने हेतु लंबित रखे जाते है।

45. **अनुतोष**

इस प्रकार विवाद्यक संख्या 01 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय किया गया है। विवाद्यक संख्या 2 व 3 वादीगण के पक्ष में तय किये गये है। विवाद्यक संख्या 5 के संबंध में आंशिक निर्णय किया गया है एवं विवाद्यक को आंशिक रूप से लंबित रखा गया है। विवाद्यक संख्या 6, 8, 13 तथा 14 को लंबित रखा गया है। विवाद्यक संख्या 9 वादीगण के पक्ष में तय किया गया है तथा इससे संबंधित विवाद्यक संख्या 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया गया है। विवाद्यक संख्या 16 का निर्धारण विवाद्यक सं. 1 के साथ किया जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया गया है। विवाद्यक संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध तय किया गया है। अतः उक्त विवाद्यकों का निर्धारण जिस प्रकार से किया गया है उसको मध्यनजर रखते हुए वादीगण को वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित चार संपत्तियों में से संपत्ति संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से इस स्टेज पर अनुतोष दिया जाना न्यायोचित होगा–

प्लाट संख्या 5/83 कल्याण भवन परसराम नगर, ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर जो कि ग्राम जाहोता की पुश्तैनी कृषि भूमि बेचकर क्रय किया गया है। अतः उक्त संपत्ति पुश्तैनी पारिवारिक सहदायिकी संपत्ति की आय से क्रय किए जाने से पुश्तैनी सहदायिकी संपत्ति होना घोषित की जाती है। इसी प्रकार पुश्तैनी मकान मय बाड़ा (पीछे की ओर) जिसमें लेट बाथ बने हुए है तथा खाली पडा हुआ है करीब 600–700 वर्गगज, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर महानगर की संपत्ति भी पुश्तैनी सम्पत्ति होना पाया जाता है। अतः वादग्रस्त संपत्ति पर वाद पत्र के मद संख्या 2 में अंकित सजरा खानदान की रोशनी में

उक्त संपत्तियों के आधे हिस्से पर वादीगण का 1/7 हिस्सा प्रत्येक का घोषित किया जाता है।

आदेश

46. परिणामतः वाद, वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद पत्र के मद संख्या 3 में अंकित चार संपत्तियों में से संपत्ति संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया जाता है–

प्लाट संख्या 5/83 कल्याण भवन परसराम नगर, ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर जो कि ग्राम जाहोता की पुश्तैनी कृषि भूमि बेचकर क्रय किया गया है। अतः उक्त संपत्ति पुश्तैनी पारिवारिक सहदायिकी संपत्ति की आय से क्रय किए जाने से पुश्तैनी सहदायिकी संपत्ति होना घोषित की जाती है। इसी प्रकार पुश्तैनी मकान मय बाड़ा (पीछे की ओर) जिसमें लेट बाद बने हुए है तथा खाली पडा हुआ है करीब 600–700 वर्गगज, ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जयपुर महानगर की संपत्ति भी पुश्तैनी सम्पत्ति होना पाया जाता है। अतः वादग्रस्त संपत्ति पर वाद पत्र के मद संख्या 2 में अंकित सजरा खानदान की रोशनी में उक्त संपत्तियों के आधे हिस्से पर वादीगण का 1/7 हिस्सा प्रत्येक का घोषित किया जाता है। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(राकेश गोरा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, जयपुर महानगर प्रथम

47. निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश गोरा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, जयपुर महानगर प्रथम